न्यायालय :– द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़)

(पीठासीन न्यायाधीश – बी0पी0वर्मा)

सत्र प्रकरण कमांक : 182 / 2007

छत्तीसगढ़ शासन,
व्दारा – आरक्षी केन्द्र, गंज,
रायपुर (छ0ग0) ——— अभियोजन।

// वि रू ध्द //

1. पिजूष(पियुष) उर्फ बुबून गूहा आत्मज
सुनील कुमार गूहा, उम्र 40 वर्ष, पेशा
बीड़ी पत्ता व्यापार, निवासी सागरपारा,
थाना जालंगी, जिला मुर्शिदाबाद
हावड़ा–75 (पश्चिम बंगाल)

2. डॉ0 विनायक (बिनायक) सेन आत्मज डॉ0
डी0पी0सेन, उम्र 60 वर्ष, पेशा चिकित्सक,
निवासी ए–28, सूर्या अपार्टमेंट, कटोरा तालाब,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. नारायण सान्याल उर्फ नवीन उर्फ विजय
आत्मज स्व0 जे0एन0 सान्याल उर्फ टी0एन0सान्याल
उम्र 74 वर्ष, पेशा कुछ नहीं,
निवासी पी0–7, सेन्हाती कॉलोनी, डायमण्ड हर्बर
रोड, कलकत्ता–700034,
थाना बेहाला, जिला कोलकाता
(पश्चिम बंगाल) ——— अभियुक्तगण।

अभियोजन व्दारा श्री टी0सी0पण्डया विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त पिजूष(पियूष) गूहा व्दारा श्री एस0के0फरहान अधि0।
अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन व्दारा श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री महेन्द्र दुबे अधिवक्ता।
अभियुक्त नारायण सान्याल व्दारा श्री हाशिम खान अधिवक्ता।

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 24 माह–दिसंबर, सन् 2010 ई0 को घोषित)

1. अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 121(क), 124(क) अथवा धारा– 124(क) सहपठित धारा–120 बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(1) अथवा धारा–8(1) छ0ग0विशेष जन सुरक्षा अधिनियम सहपठित धारा–120 बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(2) अथवा धारा–8(2) छ0ग0विशेष जन सुरक्षा अधिनियम,2005 सहपठित धारा–120 बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(3) अथवा धारा–8(3) छ0ग0विशेष जन सुरक्षा अधिनियम सहपठित धारा–120 बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(5) अथवा धारा–8(5) छ0ग0विशेष जन सुरक्षा अधिनियम सहपठित धारा–120 बी भा0दं0वि0, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–10(ए) अथवा विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–10(ए) सहपठित धारा– 120बी भा0दं0वि0, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–20, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–21, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–38(2), विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–39(2) के अन्तर्गत यह आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 06.05.2007 को अथवा उसके पूर्व या उसके आसपास रेल्वे स्टेशन रोड, रायपुर(छ0ग0), केन्द्रीय जेल रायपुर (छ0ग0) या केन्द्रीय जेल बिलासपुर (छ0ग0) या कंटोरा तालाब रायपुर(छ0ग0) या होटल महेन्द्र रायपुर या होटल गीतांजलि रायपुर (छ0ग0) में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरूध्द युध्द करने, युध्द करने के प्रयत्न अथवा युध्द करने के दुष्प्रेरण का षड़यंत्र किया और बोले या लिखे गये शब्दों, संकेतों, दृष्यरूपेणों व्दारा या अन्यथा भारत में विधि व्दारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा किया या पैदा करने का प्रयत्न किया या अप्रीति प्रदीप्त किया या प्रदीप्त करने का प्रयत्न कर राजद्रोह किया या राजद्रोह का षड़यंत्र किया, व विधि–विरूध्द संगठन के सदस्य रहे या विधि–विरूध्द संगठन

के सम्मेलनों या कियाकलापों में भाग लिया या विधि –विरूध्द संगठन के प्रयोजन के लिये अभिदाय प्राप्त किया या प्रदान किया या अभिदाय की याचना किया अथवा उक्तानुसार षड़यंत्र किया, व विधि–विरूध्द संगठन के सदस्य न होते हुए भी विधि विरूध्द संगठन के लिये कथित अभिदाय प्राप्त किया या प्रदान किया या अभिदाय की याचना किया या विधि विरूध्द संगठन के कथित सदस्य को संश्रय दिया अथवा उक्तानुसार षड़यंत्र किया व विधि विरूध्द संगठन का प्रबंधन किया या प्रबंधन में सहयोग किया या विधि विरूध्द संगठन की बैठक या सदस्य को बढ़ावा दिया या सहयोग किया या विधिविरूध्द संगठन की गतिविधियों में किसी तरह का भाग लिया या विधि विरूध्द संगठन के किसी भी माध्यम या उपकरण के भागीदार रहे अथवा उक्तानुसार षड़यंत्र किया व विधि विरूध्द कथित कियाकलापों को घटित किया या विधि विरूध्द कियाकलापों को घटित करने का दुष्प्रेरण किया या घटित करने का प्रयास किया या घटित करने की योजना बनायी अथवा उक्तानुसार षड़यंत्र किया व विधि विरूध्द संगठन के सदस्य रहे अथवा विधि बिरूध्द संगठन की बैठकों में भाग लेते रहे या ऐसे संगठन के प्रयोजनार्थ कथित अभिदाय प्राप्त किये अथवा प्रदान करते रहे या अभिदाय की याचना करते रहे अथवा अन्य किसी भी ढंग से विधि विरूध्द संगठन के कार्यों में सहयोग करते रहे अथवा उक्तानुसार षड़यंत्र किया व आंतकवादी संगठनों के सदस्य रहे, कथित संपत्ति का आतंकवादी कियाकलापों से अथवा आतंकवादी राशि से प्राप्त होना जानते हुये अपने कब्जे में रखा व आतंकवादी संगठन के कियाकलापों को बढ़ावा देने के आशय से उसके सदस्य रहे व आतंकवादी संगठन के कियाकलापों को बढ़ावा देने के आशय से संगठन के लिये समर्थन प्राप्त करते रहे, बैठकें आयोजित करते रहे अथवा बैठकों को संबोधित करते रहे।

2. प्रकरण में अविवादित तथ्य यह है कि अभियुक्त नारायण सान्याल को दिनांक 17.02.2007 को बिलासपुर जेल से रायपुर जेल में

ईलाज के लिये स्थानांतरित किया गया था, कागज कलम देने पर अभियुक्त नारायण सान्याल ने प्रदर्श पी040 से प्रदर्श पी045 का आवेदन पत्र लिख कर हस्ताक्षर किया था, आर्टिकल ए–24 का पोस्टकार्ड अभियुक्त नारायण सान्याल ने लिख कर दिया था जिसे अलबर्ट कुजुर ने पोस्ट किया था। यह भी अविवादित हैं कि नागेश की रिपोर्ट पर दिनांक 19.04.2005 को प्रथम सूचना पत्र लेखबध्द किया जाकर चालान दंतेवाड़ा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, थाना कोंटा के अपराध कमांक–9/05 में अभियुक्त नारायण सान्याल की गिरफ्तारी हुई थी, साक्षी विजय ठाकुर ने विनायक सेन की मुलाकात नारायण सान्याल से करायी थी, दिनांक 10.04.2006 को अभियुक्त नारायण सान्याल को दंतेवाड़ा से केन्द्रीय जेल रायपुर भेजा गया था। यह भी अविवादित है कि प्रदर्श पी0172 अभियुक्त विनायक सेन का दाढ़ी वाला फोटो है तथा प्रदर्श पी0173 अभियुक्त नारायण सान्याल का फोटो है, दिनांक 01.05.2007 को अभियुक्त पीयुष गूहा साक्षी बलराम मोती के होटल में कमरा नंबर 109 में रूका था।

3. प्रकरण में अविवादित तथ्य यह भी है कि दौरान विवेचना अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन ने मकान अपनी पत्नी के नाम पर होना तथा उसकी पत्नी के आने पर ही मकान की तलाशी करने के लिये कहा था, जिस पर दो–तीन दिन बाद सूचना देकर पुनः पुलिस वाले सूर्या अपार्टमेंट बुलवाये थे, जहां पर जामा तलाशी तैयार किया गया था तथा मकान एवं ताले की सील निकाल कर लिखापढ़ी की गयी थी तथा तोड़े गये सील को जप्त किया गया था। यह भी अविवादित है कि अभियुक्त विनायक सेन की निशानदेही पर पुलिस वाले एक पीले रंग का लेटर, एक अंग्रेजी का आंध्रप्रदेश का लेटर, पोस्टकार्ड, सीपीआईएम लिखा पत्र, सीपीयू, कम्प्यूटर, 8 नग सीडी, कपड़े, सील, उसके घर के चैनल गेट में लगाये गये ताले, एक पीली बुकलेट (आर्टिकल ए–17 व ए–18), एक पीली बुकलेट (आर्टिकल ए–19), मदन लाल बड़खड़े नामक व्यक्ति व्दारा अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन

को लिखा गया पत्र(आर्टिकल ए–20) तथा 'ह्युमन राईटस एंड लक्सलाईट ग्रुप्स' शीर्षक का अंग्रेजी पत्र (आर्टिकल ए–21), अंग्रेजी में हाथ से लिखे पत्र की फोटोकॉपी, पेपर कटिंग, पोस्टकार्ड, विनायक सेन को संबोधित सलवा जुडुम की पुस्तक जप्त किये थे। यह भी अविवादित है कि दिनांक 22.01.2007 को बिलासपुर जेल में अधिवक्ता सुधा भारव्दाज व अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन, अभियुक्त नारायण सान्याल से मिलने आये थे। यह भी अविवादित है कि मोबाईल फोन नंबर 94252–06875 डॉ0 विनायक सेन की पत्नी एलिना सेन की है व आर्टिकल ए–18 से आर्टिकल ए–36 तक का सामान अभियुक्त बिनायक सेन व्दारा अपने घर से निकाल कर पेश करने पर जप्ती पत्र प्रदर्श पी020 के अनुसार जप्त किया गया था।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.05.2007 को पुलिस कंट्रोल रूम, रायपुर से पुलिस अधीक्षक, रायपुर के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारियों को वितन्तु संदेश के माध्यम से सूचित किया गया था कि संबंधित थाना प्रभारी अपने–अपने क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों, होटल, लॉज, धर्मशाला व ढाबों की बारीकी से जांच–पड़ताल करेंगे। फेरी लगा कर सामान बेचने वालों की भी जांच बारीकी से किया जाकर संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ कर उनके विरूध्द वैधानिक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक, रायपुर के उक्तानुसार आदेश के परिपालन में आरक्षी केन्द्र, गंज–रायपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक बी0एस0जागृत दिनांक 06.05.2007 को अपने पुलिस स्टाफ की टीम बना कर आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन, होटल, लॉज, धर्मशाला इत्यादि में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हेतु निकला था, तभी 16.10 बजे उसे स्टेशन की ओर बैग लेकर घूमने वालों पर विशेष निगाह रख कर उनकी बारीकी से तलाशी लिये जाने के संबंध में मुखबिर के व्दारा सूचित किया गया, तत्क्षण एकाएक उसे अभियुक्त पियुष गूहा रायपुर स्टेशन की ओर तेजी से जाते हुये मिला, जिससे संदेह के आधार पर

रोक कर पूछताछ की गयी, परन्तु उसके व्दारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर तथा संदेह और पुख्ता होने पर उसके बैग की तलाशी ली गयी, जिस पर उसके बैग के अंदर अनेकों नक्सली साहित्य एवं पत्र–पत्रिकाएं पायी गयीं। तदुपरांत तत्काल निरीक्षक बी0एस0जागृत व्दारा उक्त इलाके में भ्रमण कर रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजातशत्रु बहादुर सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह एवं थाना प्रभारी गंज, क्राईम बांच रायपुर रविन्द्र उपाध्याय इत्यादि को रेल्वे स्टेशन के पास अतिशीघ्र पहुंचने हेतु सूचित किया गया, जिनके व्दारा भी रेल्वे स्टेशन रायपुर पहुंच कर अभियुक्त पिजूष गूहा से पूछताछ की गयी, परन्तु फिर भी उसके व्दारा कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर पिजूष गूहा को थाना गंज लाया गया, जहां पर उससे गहन पूछताछ की गयी तथा उसके नीले–काले रंग के बैग की सघन तलाशी ली गयी, जिस पर उक्त नक्सली साहित्य एवं पत्रिकाओं के अलावा नक्सली समर्थन एवं नक्सली अभियान से संबंधित दो अन्य पत्रिकाएं, "प्रभात पत्रिका" तथा हाथ से लिखी हुई तीन चिट्ठियां, जिनमें से दो चिट्ठी अंग्रेजी भाषा में तथा एक बंगाली भाषा में लिखी गयी थी मिलीं। उक्त चिट्ठियां किसी दूसरे नक्सली संगठन के लीडर को भेजी गयी थी और आतंकवादी, नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुये लिखी गयी थी। जामा तलाशी में अभियुक्त पिजूष गूहा से 49000.00 रूपये नकदी रकम भी प्राप्त हुई। अभियुक्त की संलिप्तता "नक्सली एवं आतंकवादी गतिविधियों तथा सरकार के विरूध्द विधि–विरूध्द कियाकलापों इत्यादि" में पाये जाने पर अभियुक्त पीजुष गूहा को हिरासत में लेकर उक्त मशरूका की विधिवत् जप्ती की गयी तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और फिर अपराज पंजीबध्द करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर अपराध पंजीबध्द किया गया। तदुपरांत पुलिस अधीक्षक रायपुर व्दारा अग्रिम विवेचना हेतु नगर पुलिस अधीक्षक बी0बी0एस0राजपूत को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया, जिनके व्दारा अभियुक्त पिजूष गूहा से अत्यंत बारीकी से पूछताछ किये जाने पर उक्त तीन पत्र उसे

अभियुक्त डॉ0 बिनायक सेन व्दारा दिया जाना बतलाया। दौरान अन्वेषण नक्सली गतिविधियों से संबंधित उक्त पत्र जेल में निरूध्द नक्सली नेता अभियुक्त नारायण सान्याल व्दारा जेल में मुलाकात के दरम्यान अभियुक्त डॉ0 बिनायक सेन को प्रदान किया जाना पाया गया, जिसे अभियुक्त बिनायक सेन व्दारा अभियुक्त पियूष गूहा को उक्त पत्रों में अंकित गोपनीय कोड नंबरों पर प्रेषित किये जाने हेतु प्रदत्त किया गया था।

5. दौरान अन्वेषण अभियुक्त डॉ0 बिनायक सेन के मकान की तलाशी लिये जाने पर अभिरक्षाधीन अभियुक्त नारायण सान्याल व्दारा अभियुक्त बिनायक सेन को लिखा गया पोस्टकार्ड, सेंट्रल जेल बिलासपुर में निरूध्द नक्सली कमांडर मदन बरकड़े व्दारा अभियुक्त बिनायक सेन को "कामरेड" संबोधित कर लिखा गया पत्र, आठ नग सीडी, जिसमें सलवा जुडुम एवं नारायणपुर के गांवों में अभियुक्त विनायक सेन व्दारा ग्रामवासी महिलाओं और बच्चों के मध्य वार्तालाप करते दिखाया गया है, जप्त किया गया। अभियुक्त बिनायक सेन के मकान से दौरान तलाशी अंग्रेजी में लिखा गया पत्र तथा एक बुकलेट, जिसमें माओवादी संगठन के संबंध में प्रतिबंधित आपत्तिजनक लेख हैं एवं सलवा जुडुम के कैसेट, सी0पी0यू0, 8 नग सी0डी0 कैसेट इत्यादि जप्त किये गये। दौरान विवेचना जेल में निरूध्द नक्सली नारायण सान्याल, जो नक्सलियों–माओवादियों की सबसे बड़ी संस्था "पोलित ब्यूरो" का सदस्य है, के व्दारा जेल में रह कर नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अभियुक्त बिनायक सेन एवं पीजूष गूहा के सहयोग से अंजाम दिया जाकर "राजद्रोह" करना पाया गया और बिनायक सेन एवं पियूष गूहा के माध्यम से अभियुक्त नारायण सान्याल की मैदानी एवं शहरी क्षेत्रों में हिंसक वारदातों को अंजाम देने तथा नक्सली प्रचार–प्रसार कर धन उपार्जन के कृत्य में संलिप्तता पायी गयी जिस पर मामले में अभियुक्त डॉ0 बिनायक सेन तथा अभियुक्त नारायण सान्याल की प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से

गिरफ्तारी की गयी। तदुपरांत सम्पूर्ण विवेचन उपरांत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर आरक्षी केन्द्र, गंज–रायपुर व्दारा श्री रजनीश श्रीवास्तव मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

8. श्री रजनीश श्रीवास्तव मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रायपुर व्दारा दाण्डिक प्रकरण कमांक–1333/07, शासन विरूध्द पिजूष गूहा एवं अन्य दो, अंतर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा 121(क), 124(क) अथवा 124(क) सहपठित धारा–120 बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(1), 8(2), 8(3), 8(5), विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–10(ए) अथवा विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–10(ए), 20, 21, 38(2) एवं 38(2) के रूप में प्रकरण पंजीबध्द किया गया तथा प्रकरण अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय, रायपुर व्दारा विचारणीय होने से उपार्पण आदेश दिनांक 24.08.2007 के व्दारा माननीय सत्र न्यायालय, रायपुर को उपार्पित किया गया। माननीय सत्र न्यायालय, रायपुर व्दारा दिनांक 05.09.2007 को यह प्रकरण विधिवत निर्वर्तन हेतु न्यायालय एकादश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फॉस्ट ट्रेक कोर्ट) रायपुर को अंतरित किया गया।

9. प्रकरण अंतरण पर प्राप्त होने के पश्चात् एकादश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फॉस्ट ट्रेक कोर्ट) रायपुर व्दारा अभियुक्तगण पर ऊपर कण्डिका–1 में वर्णित अनुसार भारतीय दण्ड विधान की धारा 121(क), 124(क) अथवा 124(क) सहपठित धारा–120 बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(1) अथवा धारा–8(1) छ0ग0विशेष जन सुरक्षा अधिनियम सहपठित धारा–120 बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(2) अथवा धारा–8(2) छ0ग0विशेष जन सुरक्षा अधिनियम सहपठित धारा–120 बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा

अधिनियम, 2005 की धारा–8(3) अथवा धारा–8(3) छ0ग0विशेष जन सुरक्षा अधिनियम सहपठित धारा–120 बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(5) अथवा धारा–8(5) छ0ग0विशेष जन सुरक्षा अधिनियम सहपठित धारा–120 बी भा0दं0वि0, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–10(ए) अथवा विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–10(ए) सहपठित धारा– 120बी भा0दं0वि0, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–20, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–21, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–38(2), विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–39(2) के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाया गया। आरोपित अपराध की विशिष्टियां पढ़ कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्तगण व्दारा आरोप अस्वीकार किया गया तथा विचारण चाहा गया, जिस पर प्रकरण विचारण में लिया गया।

8. दौरान विचारण साक्ष्य के स्तर पर दिनांक 21.10.2009 का यह प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिस पर इस न्यायालय व्दारा प्रकरण में शेष विचारण पूर्ण किया गया। विचारण उपरांत दण्ड प्रकिया संहिता की धारा– 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना तथा मामले में उन्हें मिथ्या संलिप्त किये जाने बाबत् कथन किया है। इसके अलावा अभियुक्त पिजूष गूहा, बिनायक(विनायक) सेन एवं नारायण सान्याल के व्दारा अपने बचाव में पृथक–पृथक कथन किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

(अ) . <u>अभियुक्त पिजूष गूहा :–</u> अभियुक्त पिजूष गूहा ने अपने बचाव में बतलाया है कि वह रायपुर बीड़ी पत्ता व्यवसाय के सिलसिले में आता था। मई माह में 1 तारीख को बीड़ी पत्ता का सीजन प्रारंभ होने से वह रायपुर आया था और

महिन्द्रा होटल में ठहरा था, तब उसी दिन पुलिस उसे उक्त होटल से पकड़ कर ले गयी और 6 दिनों तक उसकी आंखें बांध कर उसे रखा गया, इस कारण उसे कहां रखे थे नहीं मालूम। बाद में दिनांक 06.05.2007 को उससे जबर्दस्ती कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा कर झूठा प्रकरण बना दिया गया। वह नारायण सान्याल, विनायक सेन को नहीं जानता तथा दिनांक 02.05.2007 को उसका कलकत्ता जाने का वापसी टिकट था।

(ब) <u>अभियुक्त विनायक सेन :–</u> अभियुक्त डॉ0 बिनायक सेन ने अपने बचाव में पृथक से लिखित कथन प्रस्तुत किया है, जिसका सार यह है कि वह एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर है तथा पी0यू0सी0एल0 का सदस्य है। पुलिस के व्दारा निर्दोष ग्रामीणों को नक्सली हैं, कह कर उनके साथ मारपीट कर अत्याचार किया जा रहा था, जिसका पुरजोर विरोध पी0यू0सी0एल0 के सदस्यों के व्दारा किया गया, जिस पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा उसे झूठा फंसाये जाने की धमकी दी गयी थी और इसी कारण से उसे मामले में मिथ्या संलिप्त किया गया है।

(स) <u>अभियुक्त नारायण सान्याल:–</u> अभियुक्त नारायण सान्याल ने अपने बचाव में यह बतलाया है कि पहले आन्ध्रप्रदेश में उसके विरूध्द झूठा प्रकरण बनाया गया था, किन्तु जब उसमें जमानत हो गयी, तब दंतेवाड़ा में झूठा केस बनाया गया, उस प्रकरण में गवाही हो जाने पर तथा उक्त प्रकरण में उसके विरूध्द कोई साक्ष्य नहीं आने पर यह विचाराधीन प्रकरण बनाया गया है तथा उससे जेल में पुलिस ने उसे धमका कर उससे जबर्दस्ती डिक्टेट कर चिट्ठी लिखवा कर यह झूठा केस बनाया है तथा उस पर नक्सली होने का झूठा आरोप लगा कर

झूठे आधार पर उसे जेल में रखना चाहते हैं। वह पियूष गूहा को नहीं जानता, इसलिये कोई पत्र भेजने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपित अपराध के समर्थन में इस प्रकरण में कुल 97 अभियोजन साक्षियों के कथन अंकित कराये गये हैं। अभियुक्त डॉ0 विनायक ने अपनी प्रतिरक्षा में कुल 11 प्रतिरक्षा साक्षियों के कथन अंकित कराये हैं। अभियुक्त नारायण सान्याल तथा पिजूष गूहा की ओर अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

10. अवधारण के लिये प्रश्न यह है कि :–

(1) क्या दिनांक 06.05.2007 अथवा इसके पूर्व रेल्वे स्टेशन रोड, रायपुर(छ0ग0) या केन्द्रीय जेल रायपुर (छ0ग0) या केन्द्रीय जेल बिलासपुर (छ0ग0) या कटोरा तालाब रायपुर(छ0ग0) या होटल महेन्द्र या होटल गीतांजलि, रायपुर में अभियुक्तगण ने आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण सामग्रियों, साधनों/संकेतों के व्दारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरूध्द युध्द किया या युध्द करने का प्रयत्न किया अथवा युध्द करने का दुष्प्रेरण किया ?

(2) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यदाहियों को

अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा भारत में विधि व्दारा स्थापित सरकार के विरूध्द घृणा या अवमान या अप्रीति प्रदीप्त करके या उसका प्रयत्न करके "राजद्रोह" किया ?

अथवा

क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा भारत में विधि व्दारा स्थापित सरकार के विरूध्द घृणा या अवमान या अप्रीति प्रदीप्त करने का या उसका प्रयत्न करके राजद्रोह करने का आपराधिक षड़यंत्र कारित किया ?

(3) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा विधि–विरूध्द संगठन के सदस्य रहते हुये उक्त विधि–विरूध्द संगठन के सम्मेलनों या कियाकलापों में भाग लिया या दिधि–विरूध्द संगठन के प्रयोजन के लिये अभिदाय प्राप्त किया या प्रदान किया या अभिदाय की याचना किया ?

अथवा

क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा विधि–विरूध्द संगठन के सदस्य रहते हुये उक्त विधि–विरूध्द संगठन के सम्मेलनों या कियाकलापों में भाग लेने या विधि–विरूध्द संगठन के प्रयोजन के लिये अभिदाय प्राप्त करने या प्रदान करने या अभिदाय की याचना करने का आपराधिक षड़यंत्र कारित किया ?

(4) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा विधि–विरूध्द संगठन के सदस्य नहीं रहते हुये भी उक्त विधि–विरूध्द संगठन के लिये अभिदाय किया या उसके लिये अभिदाय प्राप्त किया या अभिदाय की याचना किया अथवा उक्त संगठन के किसी सदस्य को संश्रय प्रदान किया?

अथवा

क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को

अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा विधि–विरूध्द संगठन के सदस्य नहीं रहते हुये भी उक्त विधि–विरूध्द संगठन के लिये अभिदाय करने का उसके लिये अभिदाय प्राप्त करने या अभिदाय की याचना करने अथवा उक्त संगठन के किसी सदस्य को संश्रय प्रदान करने का आपराधिक षड़यंत्र किया ?

(5) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा विधि–विरूध्द संगठन का प्रबंधन किया या प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया या उक्त संगठन के किसी बैठक या सदस्यों को बढ़ावा दिया या सहयोग किया या किसी ढंग से उक्त संगठन की विधि–विरूध्द गतिविधियों में भाग लिया या उसके किसी भी माध्यम या उपकरण के भागीदार रहे ?

अथवा,

क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा विधि–विरूध्द

संगठन का प्रबंधन करने या प्रबंधन में सहयोग प्रदान करने या उक्त संगठन के किसी बैठक या सदस्यों को बढ़ावा या सहयोग देने या किसी ढंग से उक्त संगठन की विधि–विरूध्द गतिविधियों में भाग लेने या उसके किसी भी माध्यम या उपकरण के भागीदार रहने का आपराधिक षड़यंत्र किया ?

(6) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा विधि विरूध्द कार्यकलाप को घटित किया या दुष्प्रेरण किया या घटित करने का प्रयास किया या घटित करने की योजना बनायी ?

अथवा

क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा विधि विरूध्द कार्यकलाप को घटित करने या दुष्प्रेरण करने या घटित करने का प्रयास करने या घटित करने की योजना बनाने का आपराधिक षड़यंत्र किया ?

(7) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर ने आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा विधि-विरूध्द संगम के सदस्य रहे या उक्त संगम के सदस्य बने रहे या उक्त संगम की बैठकों में भाग लिये या उक्त संगम को अभिदाय किये या उसके प्रयोजनों के लिये अभिदाय प्राप्त किये या अभिदाय की याचना किये या उक्त संगम की कार्यवाही में सहयोग प्रदान किये ?

अथवा

क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य, पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण साधनों/संकेतों के व्दारा विधि-विरूध्द संगम के सदस्य रहने या उक्त संगम के सदस्य बने रहने या उक्त संगम की बैठकों में भाग लेने या उक्त संगम को अभिदाय करने या उसके प्रयोजनों के लिये अभिदाय प्राप्त करने या अभिदाय की याचना करने या उक्त संगम की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने का आपराधिक षड़यंत्र किया ?

(8) क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आतंकवादी कार्य में संलग्न आतंकवादी गिरोह अथवा आतंकवादी संगठन के सदस्य रहे?

(9) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर जान–बूझ कर ऐसी संपत्ति धारण किया, जो आतंकवाद करने से उत्पन्न हुई या अभिप्राप्त की गयी या आतंकवादी कोष के माध्यम से अर्जित की गयी ?

(10) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध किया ?

(11) क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर आतंकवादी संगठन को समर्थन दिये जाने संबंधी अपराध किया ?

// निष्कर्ष एवं कारण //

11. यहां सर्वप्रथम यह उल्लेख किया जाना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस प्रकरण में विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्तागण ब्दारा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य अंकन के दौरान अनेकानेक आपत्तियां की गयी हैं जिसके संबंध में तत्कालीन एकादश अपर सत्र सत्र न्यायाधीश(एफटीसी), रायपुर ब्दारा इन आपत्तियों का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय अर्थात निर्णय के समय किये जाने संबंधी टीप साक्षियों के साक्ष्य पत्रक में अंकित की गयी है, अतः उक्त आपत्तियों का निराकरण भी इस निर्णय में संबंधित साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना के दौरान ही साथ–साथ किया जा रहा है।

12. अभियोजन साक्षी बी0एस0जागृत (अ0सा095) निरीक्षक ने अपने कथन में बताया है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को जानता–पहचानता है। प्रदर्श पी0343 अभियुक्त पीजुष गूहा का बापर्दा छायाप्रति है। प्रदर्श पी0172 अभियुक्त विनायक सेन का फोटो है, उस समय वह दाढ़ी–मूंछें रखा था, परन्तु वर्तमान में उसकी दाढ़ी–मूंछें नहीं है। प्रदर्श पी0173 अभियुक्त नारायण सान्याल उर्फ विजय उर्फ नवीन सान्याल का फोटो है। इस साक्षी के कथनानुसार दिनांक 06.05.2007 को वह थाना गंज में थाना प्रभारी/निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे पुलिस कंट्रोल रूम रायपुर से होटल, लॉज, धर्मशाला, रेल्वे स्टेशन, टाकिज वगैरह चेक करने तथा संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत् सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर वह उक्त दिनांक को दिन के 12 बजे अपनी रवानगी थाना गंज के रोजनामचा सान्हा में दर्ज कर निर्देशानुसार चेंकिंग के लिये रवाना हुआ था। उक्त सान्हा प्रदर्श पी0344 है जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी0344सी है जो कि प्रकरण में संलग्न है।

13. अभियोजन साक्षी बी0एस0जागृत (अ0सा095) के कथनानुसार चेंकिंग के लिये जाते समय रेल्वे स्टेशन रोड में उसकी मुलाकात रविन्द्र उपाध्याय, नगर निरीक्षक, रायपुर एवं उसके स्टाफ से हुई थी। चेकिंग के दौरान अभियुक्त पियुष गूहा को एक बैग रखे हुये रेल्वे स्टेशन की ओर जाते हुये संदिग्ध हालत में देख कर रोका गया था, जिनसे पूछताछ करने पर उसने अपना निवास स्थान कभी कलकत्ता, कभी हावड़ा वगैरह बताया, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ था, जिस पर उसे संदेह के आधार पर रोक कर उसके बैग की तलाशी ली गयी तो उसके बैग में पहनने के कुछ कपड़े, तीन पत्रिकाएं जिनमें "माओवादी पत्रिका, प्रभात पत्रिका और पीपुल्स मार्च पत्रिका" थी एवं तीन पत्र हाथ से लिखे हुये थे, जिसमें दो अंग्रेजी तथा एक बंगला भाषा का था और एक बंगला भाषा का समाचार पत्र भी मिला था। इसके अलावा 49000.00 रूपये नकद मिला था। उसकी जामा तलाशी

पत्र बनाया गया था जिसे लेकर वह थाना गंज आया था. थाना गंज में निरीक्षक रविन्द्र उपाध्याय ने रोजनामचा सान्हा में वापसी दर्ज की थी, तत्संबंध में रोजनामचा सान्हा प्रदर्श डी06ए(छायाप्रति प्रदर्श डी06) है।

14. अभियोजन साक्षी बी0एस0जागृत (अ0सा095) के उक्तानुसार कथनों का समर्थन करते हुये निरीक्षक रविन्द्र उपाध्याय (अ0सा036) ने भी बताया है कि दिनांक 06.05.2007 को पुलिस कंट्रोल रूम, रायपुर से सूचना मिलने पर वह रेल्वे स्टेशन की ओर जांच के लिये गया था, जहां पर उसे जागृत एवं उनके साथ आयी पुलिस पार्टी मिली थी। करीबन पौने चार बजे शाम को उसे खबर मिली कि एक व्यक्ति, जिसका उसे हुलिया बताया गया था, उसे चेक करना है। उक्त हुलिया के आधार पर अभियुक्त पीयुष गूहा को रोके और चेकिंग हेतु सिपाही भेज कर आसपास के लोगों को बुलाये तो आसपास के लोग नहीं आये, जिस पर रास्ते से गुजर रहे लोगों को उसने रोका था, जो अनिल कुमार सिंह और राजेश गुप्ता थे। उन्हें बताये कि यह संदिग्ध व्यक्ति है, उसे चेक करना है और फिर अभियुक्त पिजुष गूहा का बैग खुलवाये तो उक्त बैग में पिजुष गूहा के कपड़े, दो हिन्दी पत्रिका, एक अंग्रेजी पत्रिका, समाचार पत्र तथा तीन पत्र जिसमें दो अंग्रेजी एवं एक बंगाली भाषा का था व नकदी रकम 49000.00 रूपये तथा एक मोटोरोला मोबाईल एवं एक रेल्वे टिकट थे। उक्त पत्रिका एवं वस्तुओं को देख कर यह प्रतीत हुआ था कि वह नक्सली साहित्य है, जिस पर उसे थाना लेकर आये थे, साथ में अनिल कुमार एवं राजेश गुप्ता भी थाना आये थे। पियुष गूहा के कंधे में ही उक्त सामान–बैग को टंगवा कर उसे थाने लाये थे। थाने में उक्त बैग को बारीकी से चेक करने पर उस बैग में प्रभात पत्रिका, हिन्दी पत्रिका, दण्डकारण्य समिति माकपा–माले, एक अंग्रेजी पत्रिका–पिपुल मार्च वाईस आफ इंडियन रेगुलेशन, तीन पत्र जिसमें से दो अंग्रेजी एवं एक बंगाली भाषा के थे, एक अंग्रजी पत्र "वी" को संबोधित तथा एक पत्र"पी" को संबोधित तथा एक बंगाली भाषा में

था। नकदी रकम 49000.00 रूपये, एक रेल्वे टिकट रायपुर से हावड़ा दिनांक 06.05.2007, बंगाली का समाचार पत्र एवं एक मोटोरोला का मोबाईल मिला था। बैग तथा कपड़ा अभियुक्त के मांगने पर वापस कर दिया गया था, शेष वस्तुओं की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी01 बनाया गया था जिसके स से स भाग पर उसके तथा ब से ब भाग पर अभियुक्त पीयुष गूहा के हस्ताक्षर हैं। थाना जाने के पूर्व अभियुक्त पीयुष का जामा तलाशी पंचनामा प्रदर्श डी01 बनाया गया था जिस पर उसके, अभियुक्त पियुष गूहा एवं साक्षियों के हस्ताक्षर हैं।

15. उक्त जप्ती के गवाह अनिल कुमार सिंह (अ0सा01) ने कथन किया है कि वह अपने बयान देने के लगभग दस–ग्यारह माह पूर्व शाम के 4.00 बजे रेल्वे स्टेशन जा रहा था तो सम्राट टॉकिज से थोड़ा आगे पुलिस वालों ने उसे हाथ दिखाया जिस पर वह रूका था और अभियुक्त पीयुष गूहा को दिखा कर पुलिस वालों ने यह कहा था कि थोड़ी देर रूको, यह संदेही व्यक्ति है, जिसकी तलाशी लेनी है। अभियुक्त के पास एक नीले तथा काले रंग का हेण्डबैग था जिसे उसने अपने कंधे पर टांगा हुआ था, नाम पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम पियुष गूहा बताया था। उस समय एक और व्यक्ति गवाह के रूप में उपस्थित था, जिसे वह नहीं जानता है। पुलिस वालों ने अभियुक्त से उसका हेण्ड–बैग खुलवाया था, बैंग में तीन पत्रिकाएं तथा तीन पत्र एवं दो समाचार पत्र बंगाली भाषा के थे। तीन पत्रों में से दो अंग्रेजी में तथा एक बंगला भाषा में लिखा हुआ था, बैग में नोटो की गड्डियां थीं। एक रेल्वे टिकट कलकत्ता की थी और एक मोबाईल था। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे तथा पियुष गूहा को थाना चलने के लिये कहा था, तब वे लोग पुलिस वालों के साथ थाना गये थे। बैग थाना जाते समय अभियुक्त पियुष गूहा को दे दिया गया था। थाना में पुलिस व्दारा अभियुक्त पियुष से जप्ती के संबंध में पूछताछ करने पर कि तुम्हें यह पत्र कहां से प्राप्त हुआ, तब अभियुक्त पियुष ने बताया था कि अभियुक्त विनायक सेन, अभियुक्त नारायण सान्याल से जेल में

मिलने जाते थे तो अभियुक्त विनायक सेन को यह पत्र नारायण सान्याल ने दिया था, जिसे अभियुक्त विनायक सेन ने उसे यह पत्र कलकत्ता पहुंचाने के लिये दिया है।

16. साक्ष्य के दौरान अभियुक्त विनायक सेन, नारायण सान्याल एवं पियूष गूहा के अधिवक्ता व्दारा साक्षी के उक्त कथन को साक्ष्य में लिखे जाने पर इस आधार पर आपत्ति की गयी है कि पुलिस के समक्ष अभियुक्त व्दारा बतायी गयी बातें साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा साक्षी के समक्ष अभियुक्त पियुष गूहा व्दारा विनायक सेन का नाम लिया जाना भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस संबंध में उनकी ओर से माननीय न्यायदृष्टांत अघ्नू नगेशिया विरूध्द बिहार राज्य, ए0आई0आर0 1966 सु0को0 119, उदयभान विरूध्द उत्तर प्रदेश राज्य, ए0आई0आर0 1962, सु0को0 1118, मोहम्मद इनायतुल्ला विरूध्द महाराष्ट्र राज्य, ए0आई0आर0 1973 सु0को0 483 व प्रभु विरूध्द उ0प्र0राज्य, ए0आई0आर0 1963 सु0को0 1113 प्रस्तुत किया गया है। परन्तु उक्त साक्षी अनिल कुमार सिंह जप्ती पत्रक का साक्षी है, मेनोरण्डम का साक्षी नहीं है तथा इस साक्षी के व्दारा जप्ती किये जाने के समय के तथ्य एवं परिस्थितियों के बारे में कथन किया गया है, जो धारा–8, 10, 17 एवं 21 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत अभियुक्तगण के प्रकटीकरण एवं उनके आचरण से संबंधित होने से साक्ष्य में ग्राह्य हैं। अतः उक्तानुसार आपत्ति निराधार एवं औचित्यहीन होने से निरस्त की जाती हैं। इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत मोहम्मद अफ़जल विरूध्द राज्य (एन.सी.टी. आफ दिल्ली), 2005, कि0ला0ज0–3950 (एस0सी0) तथा दीपक पायंग विरूध्द अरूणाचल प्रदेश राज्य, 2010 कि0लॉ0ज0–2567 अवलंबनीय है। अभियुक्तगण व्दारा प्रस्तुत माननीय न्यायदृष्टांत अघ्नू नगेशिया विरूध्द बिहार राज्य, ए0आई0आर0 1966 सु0को0 119, उदयभान विरूध्द उत्तर प्रदेश राज्य, ए0आई0आर0 1962, सु0को0 1118, मोहम्मद इनायतुल्ला विरूध्द महाराष्ट्र राज्य, ए0आई0आर0 1973 सु0को0 483 व प्रभु विरूध्द

उ0प्र0राज्य, ए0आई0आर0 1963 सु0को0 1113 के तथ्य एवं परिस्थितियां इस प्रकरण से भिन्न होने से इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

17. साक्षी अनिल कुमार सिंह (अ0सा01) ने आगे कथन किया है कि पुलिस वाले अभियुक्त पियुष गूहा के बैग तथा बैग में रखे सामानों की जप्ती बनाये थे जो प्रदर्श पी01 है जिसके अ से अ पर भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा अभियुक्त पियुष गूहा ने प्रदर्श डी01 के ब से ब भाग पर उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे। अभियुक्त पियुष गूहा से जप्तशुदा पत्रिका आर्टिकल ए–1 से ए–3, समाचार पत्र आर्टिकल ए–4 व ए–5, आर्टिकल ए–6 रेल्वे टिकट और आर्टिकल ए–7 मोबाईल, आर्टिकल ए–8, ए–9 एवं ए–10 के पत्रों को दौरान साक्ष्य दिखाये जाने पर इस साक्षी ने इन वस्तुओं को अभियुक्त पियुष गूहा से ही जप्त किया जाना बतलाया है तथा अभियुक्त पियुष गूहा से नकदी रकम 49000.00 रूपये भी जप्त किये जाने बाबत् कथन किया है। इसी प्रकार का कथन साक्षी निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0सा095) तथा रविन्द्र उपाध्याय (अ0सा036) ने भी किया है। साक्षी अनिल कुमार सिंह के उक्तानुसार साक्ष्य के दौरान आर्टिकल चिह्नित वस्तुओं को दिखा कर पूछने के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति की गयी है, परन्तु उक्त आपत्ति भी निराधार होने से निरस्त की जाती है।

18. अभियुक्तगण की ओर से साक्षी निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0सा095) तथा रविन्द्र उपाध्याय (अ0सा036) एवं अनिल कुमार सिंह (अ0सा01) का अत्यंत विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु जप्ती के संबंध में इन साक्षियों के उपरोक्तानुसार कथन इनके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं। अतः साक्षी अनिल कुमार सिंह (अ0सा01), निरीक्षक रविन्द्र उपाध्याय (अ0सा036) एवं निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0सा095) के उपरोक्तानुसार कथनों तथा जप्ती पत्र

प्रदर्श पी01 की विशिष्टियों से अभियुक्त पियूष गूहा से दिनांक 06.05.2007 को आर्टिकल ए–1 से आर्टिकल ए–10 की वस्तुएं पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेल्वे टिकिट, मोटोरोला मोबाईल, पत्र एवं नकदी रकम 49000.00 रूपये जप्त होना, 'प्रमाणित' पाया जाता है।

19. निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0सा095) के कथनानुसार उसने पुलिस अधीक्षक रायपुर को अपराध पंजीबध्द करने की अनुमति बाबत् आवेदन दिया था जो प्र0पी0179 है, जिस पर अ से अ भाग के आदेश के व्दारा पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री बी0एस0मरावी ने अपराध पंजीबध्द करने हेतु उसी आवेदन पत्र पर आदेश दिया था। उक्त तथ्यों का समर्थन करते हुये बी0एस0मरावी (अ0स069) ने अपने कथन में बताया है कि वह सन् 2007 में रायपुर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसकी पदस्थापना के दौरान दिनांक 06.05.2007 को थाना प्रभारी गंज बी0एस0जागृत छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द करने की अनुमति हेतु पत्र प्रस्तुत किया था, साथ में जप्तशुदा दस्तावेज जिसमें तीन पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि थे। उसने जप्तशुदा पत्रिकाओं का अवलोकन कर तथा पूरे घटनाक्रम की पूछताछ कर संतुष्ट होने पर उक्त आवेदन प्रदर्श पी0179 में ही छत्तीसगढ़ जनसुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द करने की अनुमति दी थी। साक्षियों के उक्त कथनों से अभियोजन व्दारा छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम की धारा–8(4) का विधिवत् पालन किया जाना प्रमाणित होता है।

20. निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0सा095) के कथनानुसार पुलिस अधीक्षक का उपरोक्त आदेश प्रदर्श पी0179 प्राप्त होने पर उसने इस प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी0344 दर्ज किया था, इस साक्षी ने प्रदर्श पी0344 के प्रथम सूचना पत्र के अ से अ भाग पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है।

21. निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0सा095) के कथनानुसार प्रकरण में बी0बी0एस0 राजपूत, नगर पुलिस अधीक्षक, उरला रायपुर को पुलिस अधीक्षक रायपुर व्दारा विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसकी नियुक्ति पत्र प्रदर्श पी0345 है जिस पर पुलिस अधीक्षक रायपुर के हस्ताक्षर हैं। उक्त आदेश के उपरांत् प्रदर्श पी0348 का पत्र लिख कर उसने प्रकरण के दस्तावेज मय–केस डायरी नगर पुलिस अधीक्षक उरला बी0बी0एस0 राजपूत को सौंप दिया था। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसने दिनांक 06.05.2007 को 17.05 बजे अभियुक्त पीजूष गूहा को प्रदर्श डी02 के गिरफ्तारी पत्रक के अनुसार गिरफ्तार किया था तथा उसका पुलिस रिमाण्ड लिया था। प्रदर्श पी0344 के प्रथम सूचना पत्र की प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को भेजी गयी थी जिसकी पावती प्रदर्श पी085 है, जिस पर उक्त न्यायालय की सील लगी है। इसी प्रकार आरक्षक छक्कन लाल साहू (अ0सा026) ने अभियुक्त पिजूष गूहा की गिरफ्तारी की सूचना मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रायपुर के न्यायालय में दिये जाने बाबत् कथन किया है।

22. साक्षी पुलिस अधीक्षक रायपुर बी0एस0मरावी (अ0सा069) ने कथन किया है कि थाना गंज के अपराध कमांक 44/07 की विवेचना हेतु उसने दिनांक 06.05.2007 को नगर पुलिस अधीक्षक उरला रायपुर बी0बी0एस0राजपूत को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया था तथा दिनांक 24.05.2007 को उक्त अपराध की विवेचना हेतु अजातशत्रु बहादुर सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विवेचना अधिकारियों की टीम गठित की थी जो प्रदर्श पी0180 है तथा इस प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रमुख सचिव, गृह, छ0ग0शासन को भेजा गया था, जो प्रदर्श पी0181 है। उक्त तथ्यों का समर्थन करते हुये साक्षी बी0बी0एस0राजपूत (अ0सा097) ने बताया है कि इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक रायपुर के आदेश प्रदर्श पी0345 के अनुसार उसे विवेचना अधिकारी नियुक्त किये जाने पर उसने प्रकरण की विवेचना किया है। उक्त आदेश के पालन में बी0एस0जागृत ने

प्रदर्श पी0346 की तहरीर के अनुसार केस डायरी भेजी थी, जो उसे दिनांक 07.05.2007 को प्राप्त हुई थी।

23. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पियूष गूहा को रायपुर में आकर विभिन्न होटलों रूकना बताया गया है, जिसके संबंध साक्षी राजकुमार नामदेव (अ0सा02) ने कथन किया है कि वह महिन्द्रा होटल रायपुर का मैनेजर है, पुलिस वाले उससे उसके उक्त होटल का रजिस्टर जप्ती पत्र प्रदर्श पी02 के अनुसार जप्त किये थे, तत्संबंध में जप्तशुदा रजिस्टर आर्टिकल ए–11 है जिसके अनुसार अभियुक्त पियुष गूहा उक्त होटल में दिनांक 17.04.2007 तथा दिनांक 01.05.2007 को कमरा नंबर 109 में रूके थे जिसका इंद्राज रजिस्टर आर्टिकल ए–11 में है। उक्त रजिस्टर के उक्त पेज की नकल आर्टिकल ए–11सी है। इसी प्रकार पुलिस वाले उक्त होटल का बिल बुक जप्ती पत्र प्रदर्श पी03 के अनुसार जप्त किये थे, उक्त जप्तशुदा बिल बुक आर्टिकल ए–12 है जिसके अनुसार दिनांक 17.04.2007 को होटल में रूकने के लिये 416.00 रूपये एवं दिनांक 01.05.2007 को रूकने के लिये 412.00 रूपये का बिल रसीद कमांक 336 एवं 388 में काटा गया है। उक्त तथ्यों का समर्थन साक्षी बलराम मोती (अ0सा09) ने भी अपने कथनों में किया है। उक्त साक्षियों ने अभियुक्त विनायक सेन को अभियुक्त पियुष गूहा से होटल में मिलने आने के तथ्य को याद नहीं होना बतलाया है जिस कारण इन साक्षियों को अभियोजन व्दारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है।

24. साक्षी सुरेशचंद्र यदु (अ0सा04) के कथनानुसार वह गीतांजलि होटल रायपुर का मालिक है जो स्टेशन चौक रायपुर में स्थित है। सम्राट टॉकीज से उसका होटल हजार–पन्द्रह सौ फीट दूर है, पुलिस वालों ने उससे उसके होटल गीताजंलि का यात्री रजिस्टर जप्त किया था, जिसके संबंध में जप्ती पत्र प्रदर्श पी08 तथा जप्तशुदा

रजिस्टर आर्टिकल ए–13 है जिसके पृष्ठ कमांक–1088 में अभियुक्त पीजुष गूहा को उसके होटल में दिनांक 22.09.2006 को आना तथा दिनांक 23.09.2006 को जाना दर्शाया गया है। इस साक्षी ने दिनांक 12.10.2006, दिनांक 07.12.2006 और दिनांक 12.01.2007 तथा दिनांक 13.01.2007 को उक्त होटल में अभियुक्त पिजूष गूहा को रूकने का कथन किया है। आगे अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करने के कारण इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किया गया है, परन्तु इस साक्षी के उक्तानुसार कथनों से अभियुक्त पिजूष गूहा का समय–समय पर रायपुर आना तथा ऊपर दर्शित अनुसार होटलों में रूकने के तथ्य प्रमाणित होते हैं।

25. यहां यह उल्लेख किया जाना अप्रसांगिक नहीं होगा कि इस साक्षी के न्यायालय में साक्ष्य अंकन के दौरान होटल सम्राट से होटल गीतांजलि की दूरी तथा आर्टिकल ए–13 के पृष्ठ कमांक–1088 में उल्लेखित तथ्यों के बारे में अभियोजन द्वारा पूछे जाने पर बचाव पक्ष की ओर से यह आपत्ति की गयी है कि अभियोजन द्वारा उक्त तथ्य इस साक्षी से नहीं पूछे जा सकते, परन्तु घटनास्थल के आसपास स्थित होटलों–प्रमुख स्थलों की दूरी तथा आर्टिकल ए–13 के पृष्ठ कमांक 1088 में उल्लेखित तथ्य प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में सुसंगत होने से बचाव पक्ष की उक्त आपत्ति निराधार प्रतीत होती है, अतः निरस्त की जाती है।

26. अभियुक्त पिजूष गूहा के नक्सली एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के संबंध में ए0आर0कुंजाम (अ0सा019) ने कथन किया है कि वह केन्द्रीय जेल रायपुर में सन् 2004 से सन् 2008 तक सहायक जेलर के पद पर पदस्थ था। पुलिस ने दिनांक 31.07.2007 को उसके पेश करने पर वारंट शाखा का विचाराधीन बंदियों का रजिस्टर नंबर–16 जप्त किया था। जप्ती पत्र प्रदर्श पी052 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसके अनुसार अभियुक्त पिजूष गूहा दिनांक

09.05.2007 को केन्द्रीय जेल रायपुर में दाखिल हुआ था. उस समय उक्त रजिस्टर में उसका नाम, वल्दीयत, सकूनत आदि लिखा गया था। अभियुक्त पिजूष गूहा को सी0जे0एम0 न्यायालय, पुरूलिया में प्रस्तुत करने हेतु प्रोडक्शन वांरेट प्राप्त हुआ था, जिसका दाखिला रजिस्टर में इंदाज है। अभियुक्त पिजूष गूहा के विरूध्द सी0जे0एम0 न्यायालय पुरूलिया में धारा 121, 121(ए), 122, 123, 427, 323, 326, 506, 307 भा0दं0वि0 तथा धारा–3, 4 सी0एस0एक्ट एवं धारा–25, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण लंबित था। अभियुक्त पिजूष गूहा को दिनांक 03.06.2007 को सी0जे0एम0 न्यायालय पुरूलिया पेशी में भेजा गया था और पुरूलिया से दिनांक 15.09.2007 को वापस आया था, जिसकी प्रविष्टि अन्य रजिस्टर के कमांक–21 में इंदाज है। रजिस्टर कमांक 18 में कमांक 635 में अभियुक्त पिजूष का एडमिशन दर्ज है जिस पर पिजूष गूहा के हस्ताक्षर हैं, उक्त रजिस्टर प्रदर्श पी053 है जिसके अ से अ भाग पर पिजूष गूहा हैं, रजिस्टर की फोटोकॉपी प्रदर्श पी053सी है। रजिस्टर कमांक–21 में पिजूष गूहा के पुरूलिया से लौटने की प्रविष्टि है जिसका कमांक–3005 है, रजिस्टर प्रदर्श पी054 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी054सी है। उक्त तथ्यों का समर्थन विवेचना अधिकारी बी0बी0एस0राजपूत(अ0सा097) तथा दिलीप कुमार देव (अ0सा048) एवं साधन कुमार पाठक (अ0सा093) ने किया है।

27. दिलीप कुमार देव (अ0सा048) के कथनानुसार सीआईडी में उसकी तैनाती के दौरान वह थाना बंदवान जिला पुरूलिया के अपराध कमांक 20/2005 में विवेचना के लिये गया था, विवेचना में उसने प्रदर्श पी0138 थाना बंदवान की प्रथम सूचना पत्र की विवेचना किया था तथा उससे संबंधित प्रकरण का चालान पुरूलिया के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। उक्त चालान में अभियुक्त पिजूष गूहा को अभियोजित किया गया था। इसी प्रकार का कथन साधन कुमार पाठक (अ0सा093) ने भी किया है। इस साक्षी के कथनानुसार वह दिनांक 04.10.2005 को थाना बंदवान जिला पुरूलिया

(पश्चिम बंगाल) में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उसके थाना क्षेत्र में गुड़पाना सीआरपीएफ का केन्द्र बन रहा था जिसे डिमॉलिश करने की सूचना मिलने पर वह वहां गया था, वह वहां गया तो देखा कि निर्माणाधीन सीआरपीएफ कैंप के कमरे के चारों दिशा में लैण्ड माईन्स लगा कर ब्लास्ट किया गया था जिससे निर्माणाधीन सीआरपीएफ कैंप ध्वस्त हो गया था। इस संबंध में पूछताछ करने पर जानकारी मिली थी कि झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के करीब 150 माओवादी उक्त घटना को अंजाम दिये थे, इस पर उसने थाना आकर अपराध कमांक 20/05 दर्ज किया था। इस घटना में शामिल होने वाले का विवरण उसने प्रथम सूचना पत्र के कॉलम नंबर 7 तथा 12 में दिया है। अपराध क्रमांक 20/05 थाना बंदवान के प्रथम सूचना पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी0136सी है, जो तीन पन्नों में है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस अपराध कमांक का चालान न्यायालय पुरूलिया पश्चिम बंगाल के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त चालान अन्य अभियुक्तों के साथ अभियुक्त पिजूष गूहा के विरूध्द भी चालान प्रस्तुत किया गया था। इन साक्षियों का उक्तानुसार कथन उनके प्रतिपरीक्षण में अखिण्डत रहा है। इस प्रकार अभियुक्त पिजूष गूहा के नक्सली एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की पुष्टि होती है।

28. अभियुक्त नारायण सान्याल के नक्सली एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के संबंध में सहायक उपनिरीक्षक रामकुमार साहू(अ0सा032) का कहना है कि वह जुलाई 2007 में चौकी डी0के0एस0 थाना गोलबाजार में पदस्थ था और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर भद्राचलम तथा खम्माम (आन्ध्रप्रदेश) जाकर वहां से घटना के संबंध में दस्तावेज हेतु पुलिस अधीक्षक से मिला था तथा भद्राचलम के सर्किल इंसपेक्टर के दिया गया रिमाण्ड का प्रार्थना पत्र भद्राचलम, जिला खम्माम थाने में पंजीकृत प्रथम सूचना पत्र कमांक –5/2006 दिनांक 03.01.2006, सी0एच0देवा रेड्डी तथा बी0 अशोक कुमार का

कथन लेकर आया था। इन सभी दस्तावेजों को एस0डी0ओ0 पी0,भद्राचलम ने सत्यापित कर दिया था जो क्रमशः आर्टिकल ए–47, ए–48, ए–49 एवं ए–50 है जिसे विवेचना अधिकारी थाना गंज को सौंप दिया था। प्रधान आरक्षक जी0रामप्रसाद (अ0सा047) के कथनानुसार वह जनवरी 2006 में भद्राचलम टाऊन थाना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 03 जनवरी 2006 को सी0एच0 देवारेड्डी सब इंसपेक्टर की रिपोर्ट करने पर भद्राचलम थाने में प्रथम सूचना कमांक 5/06 पर केस रजिस्टर किया था। निरीक्षक बी0अशोक कुमार (अ0सा058) ने कथन किया है कि वह जनवरी 2006 में भद्राचलम आन्ध्रप्रदेश में पुलिस सर्किल इंसपेक्टर के पद पर पदस्थ था। थाना भद्राचलम थाने में अपराध कमांक–5/2006 दिनांक 03.01.2006 को धारा 120बी, 121, 121ए, 124ए, 415, 199 भा0दं0वि0 एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट व धारा –8 आन्ध्रप्रदेश सुरक्षा निवारण अधिनियम एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट 1932 एवं धारा–10/13 अवैधानिक कार्यकलाप अधिनियम 1967 तथा धारा–3/6 इंडियन वायरलेस एण्ड टेलीग्राफी एक्ट 1993 के अंतर्गत कायम हुआ था। उक्त प्रथम सूचना पत्र आर्टिकल ए–48 है जिसकी विवेचना इसके व्दारा की गयी है जिस प्रकरण के अभियुक्त नारायण सान्याल उर्फ नवीन प्रसाद उर्फ बिजय उर्फ विजय पिता जे0एन0सान्याल, उम्र 66 वर्ष, निवासी कलकत्ता तथा जिसे उस समय रापयुर में रहना बताया था, को सी0एच0देवारेड्डी सब इंसपेक्टर गिरफ्तार कर लाया था फिर उसने अभियुक्त नारायण सान्याल को रिमाण्ड रिपोर्ट बना कर भद्राचलम न्यायालय में पेश किया था।

29. बी0अशोक कुमार (अ0सा058) के कथनानुसार उसने विवेचना में उपरोक्त अपराध धाराओं में अभियुक्त नारायण सान्याल के विरूध्द प्रकरण सिध्द होना पाकर खम्माम न्यायालय में इसकी चार्जशीट प्रस्तुत की थी जो खम्माम के सत्र न्यायालय में विचाराधीन हैं रिमाण्ड रिपोर्ट आर्टिकल ए–62 है जो चार पन्नों में है, उस पर उसके हस्ताक्षर

हैं तथा चार्जशीट आर्टिकल ए–67 है जो तीन पन्नों में है, उस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

30. उक्त तथ्यों का समर्थन करते हुये उपनिरीक्षक सी0एच0देवारेड्डी (अ0सा059) ने अपने कथन में बताया है कि वह माह सितंबर सन् 2004 से नवंबर सन् 2007 तक भद्राचलम टाउन आन्ध्र प्रदेश में थानेदार के पद पर पदस्थ था। दिनांक 03.01.2006 को रात्रि में उसे पेट्रोलिंग के दौरान जानकारी मिली थी कि माओवादी टॉप केडर का कोई व्यक्ति भद्राचलम बस स्टैंड एरिया में घूम रहा है, तब वह पेट्रोलिंग पार्टी के साथ भद्राचलम बस स्टेण्ड गया था और वहां पर उसने एक व्यक्ति को संदेहास्पद स्थिति में देखा था, वह व्यक्ति आज न्यायालय में मौजूद है। साक्षी ने अभियुक्त नारायण सान्याल की ओर इशारा कर उसे वही व्यक्ति होना बताया है, जिसे बस स्टेण्ड में संदेहास्पद स्थिति में देखा था। फिर उसने उससे पूछताछ की थी। पूछताछ करने पर उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया था, उसकी तलाशी करने पर अभियुक्त नारायण सान्याल के पास से एक बैग पाया था, उसके बैग में एक पिस्तौल, जिसमें 6 जिंदा कारतूस लोड था तथा 2 मोटोरोला की वॉकीटॉकी और तेरह हजार रूपये नकद, 7 बंगाली किताब, एक हिन्दी किताब, एक इस्पाईरल बुक, 15 माओवादी गोपनीय दस्तावेज, एक लेटर दो पत्ता में, एक ड्रायविंग लायसेंस जो अजय चौधरी का था तथा जिसमें उसका फोटो लगा था और रांची आर0टी0ओ0 व्दारा जारी किया गया था, पाया था तथा गवाहों की उपस्थिति में पंचनामा बनाया था। नाम –पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम नारायण सान्याल उर्फ नवीन कुमार उर्फ विजय उर्फ सुबोध आदि होना बताया था एवं रायपुर का रहने वाला एवं स्थायी पता कलकत्ता बताया था। उसने स्वयं को सी0पी0आई0 माओवादी पार्टी का सेंट्रल कमेटी का मेंबर एवं पोलित ब्यूरो का मेंबर होना बताया था। उक्त दस्तावेजों एवं वस्तुओं की जप्ती कर वह थाने ले गया था जिस पर उसकी रिपोर्ट पर अपराध कमांक–5/2006 दर्ज की गयी थी।

उक्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी0 153 हैं जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसका अभियोग पत्र खम्माम कोर्ट में पेश किया गया था जो लंबित है। उक्तानुसार साक्षियों का उपरोक्तानुसार साक्ष्य उनके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहा है और इन साक्षियों को अभियुक्तगण की ओर से यह सुझाव दिये जाने पर कि उनके विरूध्द झूठा मामला बनाया गया है, को उन्होंने अस्वीकार किया है।

31. सहायक उपनिरीक्षक सुखरू राम (अ0सा1034) के कथनानुसार वह जून सन् 2007 में थाना जांगला जिला बिजापुर में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात था। दिनांक 09.06.2007 को थाना जांगला में अपराध कमांक 17/2007, देहाती नॉलिशी उसे प्राप्त होने पर दर्ज किया था तथा उक्त अपराध के संबंध में दंतेवाड़ा के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। अपराध कमांक–17/07 की नंबरी नॉलिशी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी0124 है जिसकी मूल नॉलिशी उसके व्दारा लिखी गयी है, उक्त तथ्य को अभियुक्तगण व्दारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है। उपनिरीक्षक विपेन्द्र राम यादव (अ0सा40) के कथनानुसार वह अप्रेल 2005 में थाना कोन्टा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ। उसने दिनांक 19.04.2005 को नागेश की रिपोर्ट करने पर प्रथम सूचना पत्र लिखा था और अपराध कमांक 9/2005 पर उसकी कायमी की थी और उस प्रकरण में विवेचना भी किया था। विवेचना में उसने अभियुक्त नारायण सान्धाल के विरूध्द अपराध सबूत पाकर दंतेवाड़ा के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। इस साक्षी के कथनानुसार अभियुक्त नारायण सान्याल कट्टर नक्सली है। थाना कोंटा के अपराध कमांक 09/2005 की प्रथम सूचना पत्र एवं चार्जशीट कमांक 2/2008 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श पी0130 एवं प्रदर्श पी0131 है। अभियुक्त नारायण सान्याल की गिरफ्तारी मेमो की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी0132 है।

32. उपरोक्त तथ्यों का समर्थन साक्षी निरीक्षक विजय ठाकुर (अ0सा041) ने अपने कथनों में किया है और यह बताया है कि दिनांक 31.03.2003 से दिनांक 06.05.2006 तक वह थाना कोंटा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उसने थाना कोंटा के अपराध कमांक 09/2005 में अभियुक्त नारायण सान्याल की गिरफ्तारी की थी, तत्संबंध में गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी0132 पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना प्रभारी के नाते उसे थाना क्षेत्रों की जानकारी रहती है। अभियुक्त नारायण सान्याल नक्सली अपराधी था और वह सुकमा तथा कोंटा क्षेत्र में सकिय था। ऐसे नक्सलियों में आयतु, हिडमा, जियन्ना, देवा, मंगू वगैरह भी थे। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क में जो काम करते थे वे नक्सलियों की मीटिंग में भाग लेते थे। ऐसी मीटिंग में भाग लेने वाले नारायण सान्याल, रमन्ना, गोपन्ना, विनायक सेन, राजेन्द्र सायल, प्रदीप सिंह वगैरह थे।

33. साक्षी निरीक्षक विजय ठाकुर(अ0सा041) के साक्ष्य अंकन के दौरान अभियुक्त विनायक सेन के अधिवक्ता व्दारा यह आपत्ति की गयी कि साक्षी धारा–161 द0प्र0सं0 के कथन से भिन्न कथन कर रहा है और डॉक्टर विनायक सेन को मीटिंग में शामिल होने की बात बता रहा है। चूंकि साक्षी तत्समय मुख्य परीक्षण के अधीन था, अतः उसे साक्ष्य देने से निवारित नहीं किया जा सकता, अभियुक्त को साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर उपलब्ध था, अतः आपत्ति सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

34. साक्षी निरीक्षक विजय ठाकुर(अ0सा041) के कथनानुसार वह अभियुक्त विनायक सेन को जानता है तथा अमिता श्रीवास्तव एवं शंकर सिंह को भी जानता है। उसे वह समाचार पत्र के माध्यम से जानता है। साक्ष्य अंकन के दौरान अभियोजन व्दारा इस साक्षी को अमिता श्रीवास्तव एवं शंकर सिंह का छायाचित्र दिखाये जाने पर अभियुक्त विनायक सेन के अधिवक्ता व्दारा घोर आपत्ति की गयी है,

चूंकि अमिता सिंह एवं शंकर सिंह को फरार होना, विवेचना अधिकारी द्वारा बताया गया है तथा अमिता सिंह एवं शंकर सिंह से संबंधित दस्तावेज प्रकरण में उपलब्ध हैं, अतः उक्त आपत्ति औचित्यहीन होने निरस्त की जाती है।

35. साक्षी निरीक्षक विजय ठाकुर(अ0सा041) के कथनानुसार अमिता श्रीवास्तव एवं शंकर सिंह का भी नक्सलियों के पास आना–जाना था। इस साक्षी ने प्रकरण में प्रस्तुत फोटो प्रदर्श पी060 को शंकर सिंह एवं प्रदर्श पी061 के फोटो को अमिता श्रीवास्तव का होना बतलाया है।

36. शेर सिंह बंदे (अ0सा049) पुलिस निरीक्षक ने कथन किया है कि वह दिनांक 06.04.2007 को थाना छुरिया में उपनिरीक्षक/ थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। वह अभियुक्तगण को जानता है। इस साक्षी के द्वारा साक्ष्य अंकन के दौरान अभियुक्तगण को नाम से भी पहचाना गया हैं। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि थाना छुरिया की सीमा महाराष्ट्र प्रांत से जुड़ी है और क्षेत्र में नक्सली लोग सक्रिय हैं और थाना छुरिया क्षेत्र में नक्सलियों का जोन व देवरी स्थानीय दल है। नक्सली लोगों के उच्च स्तरीय लोगों की जैसे स्टेट कमेटी व सेंट्रल कमेटी की मीटिंग छुरिया इलाके में होती है, वहां पर विष्णु मिलिन्द तुमडे, शंकर, अशोक, पार्वती, गणेश, महिला नक्सली वर्षा, उर्मिला एवं अमिता भी सक्रिय हैं। नक्सलियों की मीटिंग में विनायक सेन और एलिना सेन भी आते हैं। अभियुक्त नारायण सान्याल भी छुरिया क्षेत्र में नक्सलियों के साथ सक्रिय रहे हैं। पी0यू0सी0एल0 के लोगों का छुरिया क्षेत्र में नक्सलियों से मिलना–जुलना है। अमिता तथा शंकर हार्डकोर नक्सली हैं तथा नारायण सान्याल भी हार्डकोर नक्सली हैं। दिनांक 21.05.2007 को बिजेपार, झाड़ीखेड़ी के जंगल में नक्सली लोग मीटिंग ले रहे थे जिसे घेराबंदी कर पीछा किया गया, किन्तु वे लोग भाग गये, मौके पर विभिन्न सामग्री मिली थी, जिसके

संबंध में अपराध कमांक–113/07 पंजीबध्द किया गया था, विवेचना कर चालान राजनांदगांव न्यायालय में पेश किया गया था जो प्रदर्श पी0137 है। उक्त अपराध कमांक को प्रदर्श पी0137 प्रदर्शांकित किये जाने के संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता व्दारा आपत्ति की गयी है कि उक्त दस्तावेज चालान के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये उसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, परन्तु चूंकि यह साक्षी मुख्य परीक्षण के अधीन है और उसने जो दस्तावेज पेश किया है, वह उसके कथन के परिप्रेक्ष्य में तथा प्रकरण के निराकरण के लिये सुसंगत है, अतः आपत्ति निरस्त की जाती है। इस साक्षी के अनुसार आर्टिकल ए–51 से ए–55 की असल प्रति अपने साथ साथ लाना तथा उसकी टंकित प्रतियां प्रकरण में पूर्व से संलग्न होना कथन किया है, उक्त टंकित प्रतियां आर्टिकल ए–56 से ए–81 है। इस साक्षी ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी0137 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। उपरोक्तानुसार साक्षियों के उक्तानुसार कथनों का कोई खण्डन उनके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष व्दारा नहीं किया गया है और उनके उपरोक्तानुसार कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित हैं।

37. सहायक उपनिरीक्षक साक्षी धीरानंद झा (अ0सा060) के कथानानुसार वह अगस्त सन् 2008 में पुलिस अधीक्षक रायपुर के आदेश के अनुसार वह गिरीडीह (झारखण्ड) गया था, वहां पर उसने परमेश्वर शुक्ल निरीक्षक थाना सदरबंल–गिरीडीह का बयान लिया था। थाना सदरबंल–गिरीडीह में दिनांक 11.11.2005 को हुई घटना के संबंध में अपराध कमांक 295/05 दर्ज था जिसमें लगभग 300 माओवादी नक्सली लूटपाट एवं हत्या किये थे, उनमें पता चला था कि अभियुक्त नारायण सान्याल मुख्य रूप से घटना में संलग्न था।

38. साक्षी सहायक उपनिरीक्षक एच0सी0जाधव (अ0सा062) के कथनानुसार वह दिनांक 12.08.2008 को पुलिस अधीक्षक, रायपुर के आदेश से इस प्रकरण की विवेचना हेतु पश्चिम बंगाल में बलरामपुर

गया था, जहां पर उसने साधन कुमार पाठक का बयान लिया था। बंदवान में पुलिस कैंप बन रहा था, वहां करीब 140–150 माओवादियों ने गुड़पाना में बन रहे पुलिस कैंप को लैण्डमाईन लगाकर ध्वस्त कर दिया था। इस संबंध में थाना बंदवान में अपराध कमांक 20/05 कायम हुआ था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी0155 है। इस प्रकरण में विजय दा का नाम आया था। इस साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्त नारायण सान्याल को विजय दा भी कहते हैं।

39. साक्षी निरीक्षक बी0एस0केरकेट्टा (अ0सा068) के कथनानुसार वह दिनांक 17.09.2008 से माह अगस्त 2008 तक थाना किरंदुल में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। थाना किरंदुल के ग्राम अरहनपुर सी0आर0पी0एफ0 का केन्द्र है, सी0आर0पी0एफ0 एवं जिला पुलिस बल की संयुक्त सर्चिंग के दौरान नक्सली मुतभेड़ हुई थी जिसमें तीन नक्सली के शव बरामद हुये थे, शेष नक्सली भाग गये थे। मौके पर विभिन्न सामान भरमार बंदूक, पुराना बैग, टिफिन बम, कारतूस, डेटोनेटर, बिजली वायर, बटरी, पाम्पलेट, प्रभात पत्रिका, पिपुल्स वार पत्रिका आदि तथा एक नग अभियुक्त नारायण सान्याल का फोटो मिला था। प्रभात पत्रिका में कामरेड नारायण सान्याल की गिरफ्तारी का विरोध करने की भर्त्सना करने बाबत् लेख छपा था। उक्त सामानों का जप्ती पत्र तथा जप्तशुदा प्रभात पत्रिका एवं पिपुल्स वार पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ लाया है। जप्ती पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी0174 है, प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी0175 व प्रभात पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी0176 व पिपुल्स वार पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी0177 है। उपरोक्तानुसार साक्षियों के उक्तानुसार कथनों को बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है, अतः इन साक्षियों का उपरोक्तानुसार कथन उनके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित हैं।

40. साक्षी इंसपेक्टर परमेश्वर शुक्ल (अ0सा079) के कथनानुसार वह सन् 2008 में सदर अंचल गिरीडीह झारखण्ड में सर्किल इंसपेक्टर पुलिस के पद पर पदस्थ था। दिनांक 11.11.2005 को नगर थाना गिरीडीह के अपराध कमांक 295/05 अंतर्गत धारा–147, 148,149, 341, 323, 324, 353, 427, 435, 397, 307 व 302 भा0द0वि0 कायम हुआ था, जिसके प्रथम सूचना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी0184 है। विवेचना में उसने अभियुक्त माओवादी नारायण सान्याल की अपराध कमांक 295/05 में संलिप्तता पायी थी, इस बाबत् उसके व्दारा प्रदर्श पी0201 का प्रतिवेदन दिया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसे पुलिस अधीक्षक, रायपुर को पुलिस अधीक्षक, गिरीडीह के मार्फत् भेजा गया था, जिसके संबंध में कव्हरिंग मेमो प्रदर्श पी0202 है, जिस पर पुलिस अधीक्षक, गिरीडीह के हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसके राज्य झारखण्ड में सीपीआई माओवादी संगठन प्रतिबंधित संगठन है, अभियुक्त नारायण सान्याल माओवादी का पोलित ब्यूरो का सदस्य है। उसने गिरीडीह सी0जे0एम0 न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी करवा कर रायपुर न्यायालय को प्रेषित किया था ताकि अभियुक्त नारायण सान्याल अपराध कमांक 292/05 के प्रकरण में उपस्थित हो सके।

41. साक्षी प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश पुष्कार (अ0सा089) के कथनानुसार वह अभियुक्त नारायण सान्याल उर्फ विजय उर्फ नवीन प्रसाद के संबंध में जानकारी लेने आवश्यक पत्र लेकर आन्ध्रप्रदेश गया था। वह आंध्रप्रदेश में इंटीलीजेंस डिपार्टमेंट, हैदराबाद गया था, उक्त पत्र के आधार पर उसे अभियुक्त नारायण सान्याल के बारे में जानकारी 21 पन्नों में दी गई थी, जो प्रदर्श पी0267 से प्रदर्श पी0 287 है। उक्त तथ्य का समर्थन भागी राम वर्मा (अ0सा090) व्दारा करते हुये यह बताया गया है कि वह विशेष अ0सूचना शाखा पुलिस मुख्यालय, रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक के अधीन स्टेनो के पद पर पदस्थ है, आंध्रप्रदेश इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट, हैदराबाद से जो सूचना प्राप्त हुई थी

उसे पुलिस उपमहानिरीक्षक, विशेष आ0सूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर ने पुलिस अधीक्षक रायपुर को ज्ञापन व्दारा भिजवायी थी, उक्त मेमो प्रदर्श पी088 है, जिस पर पवनदेव, पुलिस उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षर हैं। इस मेमो व्दारा भेजी गयी सूचना प्रदर्श पी0287 से प्रदर्श पी0 287 है। इस साक्षी के उक्त कथनों को भी अभियुक्तगण व्दारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है, अतः इस साक्षी का उक्तानुसार कथन भी उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहा है।

42. अभियोजन साक्षियों के उपरोक्त कथनों से तथा प्रदर्शित दस्तावेजों के अवलोकन से अभियुक्त नारायण सान्याल को माओवादी (कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया) का "पोलित ब्यूरो" का सदस्य होना तथा इस घटना के पूर्व ऊपर दर्शित अनुसार विभिन्न नक्सली एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होना पाया जाता है।

43. जहां तक अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन का नक्सली गतिविधियों में संलिप्त होने का प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी अनिल कुमार सिंह (अ0सा01) ने अपने कथन की कण्डिका–3 में यह बताया है कि अभियुक्त पियुष गूहा से जप्ती के संबंध में यह पूछे जाने पर कि उन्हें ये पत्र कहां से प्राप्त हुये थे, तब अभियुक्त पियुष गूहा ने यह बताया था कि अभियुक्त डॉ0 विनायक अभियुक्त नारायण सान्याल में मिलने जाते थे तो विनायक सेन को उक्त पत्र दिये गये थे।

44. निरीक्षक बी0 एस0 जागृत (अ0सा095) के कथनानुसार दिनांक 09.05.2007 को वह अभियुक्त विनायक सेन के घर की तलाशी लेने हेतु गया था, परन्तु ताला बंद होने से उस दिन वापिस आ गया, तदुपरांत दिनांक 15.05.2007 को विनायक सेन की तलाशी लेने हेतु गवाहों को धारा 100 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत संमंस जारी किया गया था, जो प्रदर्श पी013 है। उस दिन अभियुक्त विनायक सेन को ताला खोलने हेतु कहा गया था, तब उसने ए/26, सूर्या अपार्टमेंट,

कटोरा तालाब, रायपुर के मकान की स्वामिनी उसकी पत्नी ऐलिना सेन को होना बतलाया था, परंतु उसकी पत्नी मौके पर उपस्थित नहीं थी तो मकान को सीलबंद किया गया था तथा उसकी विडियोग्राफी करायी गयी थी, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी015, बी0बी0एस0राजपूत के निर्देशानुसार तैयार किया गया था जिस पर उसके, बी0बी0एस0 राजपूत एवं अभियुक्त विनायक सेन के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17.05.2007 अभियुक्त विनायक सेन के मकान की तलाशी लेने गये थे, लेकिन उस दिन भी ऐलिना सेन उपस्थित नहीं थी, अतः बिना तलाशी लिये वापिस आ गये थे, जिसके संबंध में प्रदर्श पी07 का पंचनामा सीएसपी उरला, बी0बी0एस0 राजपूत के निर्देशानुसार बनाया गया था। दिनांक 18.05.2007 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रायपुर से पूर्व सर्च वारंट के अनुसार अभियुक्त विनायक सेन के मकान की तलाशी के दौरान उपस्थिति बाबत् पत्र लिखा गया था और सी0जी0एम0 रायपुर की अनुमति प्राप्त की गयी थी, वह पत्र प्रदर्श पी0347 है।

46. साक्षी बी0एस0जागृत (अ0सा095) ने आगे यह कथन किया है कि दिनांक 19.05.2007 को अभियुक्त विनायक सेन के घर की तलाशी लेने उसके मकान ए/26, सूर्या अपार्टमेंट, कटोरा तालाब, रायपुर गये थे, तो वहां पर अभियुक्त विनायक सेन और उसकी पत्नी उपस्थित थी, तब वहां पर मकान पर लगी सील को तोड़ने पर ऐलिना सेन ने मकान का ताला खोला था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी018 बनाया गया था और तोड़ी गयी, सील की जप्ती प्रदर्श पी019 बनायी गयी थी। मकान तलाशी के पूर्व पुलिस वालों तथा गवाहों ने जाना तलाशी दिया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी016 बनाया गया था। इसी तरह महिला पुलिस वालों ने भी तलाशी दी थी, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी017 बनाया गया था, जिस पर ऐलिना सेन एवं अभियुक्त विनायक सेन के हस्ताक्षर हैं। मकान की तलाशी करने पर वहां से पीले रंग की छोटी पुस्तक, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पिपुल्स वार एवं भारत का माओवादी कम्युनिस्ट एम0सी0सी0आई0 के बीच एकता,

पिपुल्स मार्च विशेषांक नवंबर–दिसंबर 2004 कुल 16 पन्नों में, एक पत्र मदन लाल बरकड़े व्दारा "कामरेड विनायक सेन" के नाम से संबोधित, एक अंग्रेजी में आंध्रप्रदेश ह्युमन राईट्स एण्ड नक्सलाईट ग्रुप तीन पन्नों में, एक अंग्रेजी में हाथ से लिखा दस्तावेज चार पन्नों का छायाप्रति, जिसमें वर्ल्ड ग्लोबिंग आफ रिपब्लिक आफ प्रजेन्ट स्टैट एवं अन्य कई महत्वपूर्ण बात लिखी हुई, कांतिकारी जनदादी मोर्चा (आरडीएफ) वैश्वीकरण एवं भारतीय सेवा क्षेत्र की चकाचौंध कुल आठ पेज का, एक पोस्टकार्ड जो कि अभियुक्त विनायक सेन के नाम पर था, जिसमें प्रेषक का नाम नारायण सान्याल अंकित है, कुल दस पेपर कटिंग एवं एक सलवा जुडुम की पुस्तक प्राप्त हुई थी, जिन्हें जप्ती पत्र प्रदर्श पी020 के जप्ती पत्रक के अनुसार गवाहों के समक्ष जप्त किया गया था। उक्त जप्तशुदा वस्तुओं को कमशः आर्टिकल ए–19 से ए–38 तक चिन्हांकित किया गया है। इसी प्रकार उक्त मकान से एक कम्प्यूटर का सीपीयू एल जी कंपनी का तथा आठ सी0डी0 जप्ती पत्र प्रदर्श पी021 के अनुसार गवाहों के समक्ष जप्त किया गया था। उक्त सीपीयू को आर्टिकल ए–46 एवं जप्तशुदा 8 सी0डी0 को कमशः आर्टिकल ए–38 से ए–45 चिन्हांकित किया गया है।

46. उपरोक्त जप्ती पत्रक का समर्थन साक्षी श्याम सुंदर राव (अ0सा012) एवं बी0बी0एस0राजपूत (असा097) ने अपने–अपने कथनों में किया है और उपरोक्तानुसार वस्तुओं की जप्ती को प्रमाणित किया है। दौरान अभियुक्त परीक्षण स्वयं अभियुक्त डॉ0विनायक सेन ने भी आर्टिकल ए–37 को छोड़ कर शेष आर्टिकल ए–19 से आर्टिकल ए–38 एवं आर्टिकल ए–38 से आर्टिकल ए–46 की वस्तुओं को अपने मकान से जप्त होना स्वीकार किया है। अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन की ओर से उक्त साक्षियों का उपरोक्त जप्ती के संबंध में अत्यंत विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि आर्टिकल ए–37 की वस्तु अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन के घर से बरामद नहीं हुआ था, जिसे उक्त साक्षियों व्दारा अस्वीकार

किया गया है, जिससे यह दर्शित होता है कि आर्टिकल ए–37 की वस्तु भी अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन के घर से बरामद हुई है । इस प्रकार साक्षी बी0एस0जागृत (अ0सा095), श्याम सुंदर राव (अ0सा012) एवं बी0बी0एस0राजपूत (असा097) के उपरोक्तानुसार कथनों से स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित पाया जाता है कि आर्टिकल ए–19 लगायत आर्टिकल ए–46 तक की वस्तुएं अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन के घर ए/26 सूर्या अपार्टमेंट, कटोरा तालाब, रायपुर से उसके अनन्य आधिपत्य से जप्त हुई थीं।

47 आर्टिकल ए–8 से आर्टिकल ए–10 के पत्र अभियुक्त नारायण सान्याल के व्दारा लिखे जाने के संबंध में साक्षी उपजेलर सी0एस0कौल (अ0सा015) ने अपने कथनों में बताया है कि वह दिनांक 18.09.2006 को केन्द्रीय जेल रायपुर में उपजेलर के पद पदस्थ था। दिनांक 27.12.2006 को सुबह वह रायपुर, केन्द्रीय जेल के दोनों अष्टकोण में सुपरविजन में था, उस दौरान उसने कैदी रमेश कुमार अभियुक्त नारायण सान्याल को कुछ देते हुए देखा था, तब उसने रमेश से पूछताछ किया था, जिस पर रमेश ने उसे यह बताया था कि यह (अर्थात् उक्त पत्र) नारायण सान्याल ने उसे देकर उसे कैदी धीरजे मोहाली को देने के लिये कहा है, जिस पर उसने वह पत्र रमेश से ले लिया था, जो अंग्रेजी में एवं अन्य भाषा में था, जो उसकी समझ से बाहर था, उक्त पत्र को उसने जेल अधीक्षक को देकर उसे घटना के बारे में बताया था, तब जेल अधीक्षक घटना आदेश बुक में प्रविष्टि कर उसका हस्ताक्षर लिया था। उक्त आदेश बुक प्रदर्श पी024 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी024सी है और उक्त पत्र आर्टिकल ए–14 है। आर्टिकल ए–14 के पत्र एवं प्रदर्श पी024 के आर्डर बुक को जप्ती पत्र प्रदर्श पी0 25 के मुताबिक जप्त किया गया था। इस साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि अभियुक्त नारायण सान्याल उसके कार्यकाल के दौरान आवेदन पत्र पेश कर जेल के बाहर से सामान मंगवाया करता था, उक्त आवेदन पत्र प्रदर्श पी027 से लेकर प्रदर्श

पी045 है, जिसे पुलिस वालों ने प्रदर्श पी028 के जप्ती पत्र के अनुसार उससे जप्त किया था।

48. इस संबंध में साक्षी रमेश (अ0सा016) ने अभियोजन के तथ्यों का समर्थन नहीं करते हुये गोलमाल जवाब देकर न्यायालय को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है, जिसके कथन का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। परन्तु उक्त तथ्यों का समर्थन साक्षी निरंजन सिंह (अ0सा017) ने अपने कथनों में किया और प्रदर्श पी030 एवं प्रदर्श पी031 के आवेदनों की जप्ती, प्रदर्श पी047 के जप्ती पत्रक के अनुसार प्रदर्श पी026 के जप्ती पत्र के अनुसार प्रदर्श पी027 से लेकर प्रदर्श पी045 तक के आवेदनों को उसके समक्ष पुलिस वालों व्दारा जप्त किया जाना बतलाया है। साक्षी आर0एस0यादव (अ0सा028) के कथनानुसार वह केन्द्रीय जेल रायपुर में सहायक जेलर के पद पर दिनांक 11.11.2004 से अप्रैल 2008 तक पदस्थ था। उसकी पदस्थापना के दौरान दिनांक 09.05.2006 को अभियुक्त नारायण सान्याल को उसके व्दारा कागज कलम दिये जाने पर उसने अर्थात अभियुक्त नारायण सान्याल ने प्रदर्श पी040 से लेकर प्रदर्श पी045 का आवेदन सामान खरीदने के लिये उसे लिख कर दिया था।

49. साक्षी के0एल0देशमुख (असा029) ने अपने कथनों में आर्टिकल ए-24 का पत्र अभियुक्त नारायण सान्याल के व्दारा लिख कर अभियुक्त विनायक सेन को भेजने बाबत् कथन किया है। इस प्रकार प्रदर्श पी027 से लेकर प्रदर्श पी045 के आवेदन पत्र अभियुक्त नारायण सान्याल व्दारा लिखा जाना प्रमाणित है, जिसे अभियुक्त नारायण सान्याल के व्दारा अपने अभियुक्त कथन में स्वीकार किया गया है। मन्नू लाल (अ0सा024) ने अपने कथनों में बताया है कि वह जून 2007 में थाना गंज में प्रधान आरक्षक था, तब दिनांक 26.06.2007 को उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन प्रदर्श पी050 के व्दारा इस प्रकरण के दस्तावेज सीलबंद हालत में ले जाकर संचालक राजकीय

विवादग्रस्त एवं प्रश्नास्पद दस्तावेज परीक्षण, रायपुर में दिया था। तत्संबंध में दस्तावेज प्रदान किये जाने की पावती प्रदर्श पी081 है। साक्षी मन्नू लाल के उक्तानुसार कथनों को अभियुक्तगण व्दारा उसके प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

50. साक्षी एन0के0सिक्केवाल (अ0सा030) के कथनानुसार वह छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ है तथा दस्तावेज परीक्षण का कार्य करता है। पुलिस अधीक्षक रायपुर के व्दारा दिनांक 28.06.2007 के पत्र प्रदर्श पी080 के साथ थाना गंज के अपराध कमांक –44/07 के व्दारा परीक्षण हेतु उसे दस्तावेज प्राप्त हुआ था जिस पर उसने समस्त दस्तावेजों का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक तथा गहनता से परीक्षण किया गया। विवादित दस्तावेजों को उसने लाल घेरे से घेर कर क्यू–1, क्यू–2 एवं क्यू–2/1 अंकित किया था जो आर्टिकल ए–8 एवं आर्टिकल–8 है। इसी तरह स्वाभाविक लिखावट को उसने एन–1 से एन–1/1 एवं एन–2 से लेकर एन–20 तक चिन्हित किया था। इस साक्षी के अनुसार एन–1 आर्टिकल 24, एन–2 प्रदर्श पी030, एन–3 प्रदर्श पी31 तथा एन–4 से लेकर एन–13 तक कमशः प्रदर्श पी032 से प्रदर्श पी.041 है तथा एन–14 प्रदर्श पी027, एन–15 प्रदर्श पी042, एन–16 प्रदर्श पी043, एन–17 प्रदर्श पी044 व एन–18 प्रदर्श पी045, एन19 प्रदर्श पी028 एवं एन–20 प्रदर्श पी029 है। इस साक्षी के कथनानुसार नमूने के लिखावट को एस–1 से एस–24 तक चिन्हांकित किया गया है जो प्रदर्श पी091 लगायत प्रदर्श पी0114 है।

51. साक्षी अतिरिक्त राजकीय परीक्षक एन0के0सिक्केवाल (अ0सा030) के कथनानुसार उपरोक्त दस्तावेजों का परीक्षण करने पर उसने यह पाया था कि जिस व्यक्ति ने लाल घेरे से चिन्हित दस्तावेज एस–1 से एस–24 तक तथा एन–1 एवं एन–1/1 तथा एन–2 से लेकर एन–20 तक के दस्तावेजों को लिखा है, उसी

व्यक्ति के व्दारा लाल घेरे से चिन्हित दस्तावेज क्यू–1, क्यू–2 एवं क्यू–2/1 को भी लिखा गया है। तत्संबंध में उसके व्दारा दिया गया अभिमत प्रदर्श पी0115 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा तत्संबंध में उसके अभिमत का आधार प्रदर्श पी016 है। इस साक्षी ने प्रदर्श पी016 में अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है।

52. इस प्रकार उपरोक्तानुसार साक्षियों के कथनों से यह प्रमाणित है कि जप्ती पत्र प्रदर्श पी01 के अनुसार अभियुक्त पियूष गूहा के पास से जप्तशुदा अंग्रेजी भाषा के पत्र अभियुक्त नारायण सान्याल के व्दारा ही लिखा गया है, जिसे अभियोजन के अनुसार अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन के अभियुक्त नारायण सान्याल से जेल में मुलाकात के दरम्यान अभियुक्त नारायण सान्याल के व्दारा अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन को अभियुक्त पियुष गूहा को कलकत्ता पहुंचाने के लिये दिये गये थे।

53. अभियुक्त विनायक सेन, अभियुक्त नारायण सान्याल से मुलाकात करने के संबंध में साक्षी एस0के0मिश्रा (अ0सा025) ने कथन किया है कि वह केन्द्रीय जेल बिलासपुर में दिनांक 31.06.2008 से जेल अधीक्षक के पद पर पदस्थ है। वह केन्द्रीय जेल रायपुर में नवंबर 2006 से अप्रेल 2008 तक जेल अधीक्षक के पद पर पदस्थ था। जेल में विचाराधीन कैदियों से मिलने वालों का पृथक से रजिस्टर रखा गया है। वह अभियुक्त नारायण सान्याल को जानता है, उसके कार्यकाल में वह रायपुर जेल में निरूध्द था। अभियुक्त नारायण सान्याल के नक्सली गतिविधि से जुड़े होने के कारण उसे निगरानी में रखा जाता था। पुलिस ने उससे प्रदर्श पी025 के जप्ती पत्रक के अनुसार अभियुक्त नारायण सान्याल से संबंधित चिट्ठी एवं आदेश पत्रिका जप्त की थी। साक्षी ने आगे कथन किया है कि पुलिस ने उससे विचाराधीन बंदी नारायण सान्याल से मिलने वालों की सूची मांगी थी, तब उसने अभियुक्त नारायण सान्याल से मिलने वालों की सूची अपने पत्र प्रदर्श

पी083 के द्वारा दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो तीन पन्नों में हैं तथा कमांक–1 से 88 तक उल्लेखित सूची प्रदर्श पी084 है एवं मुलाकाती रजिस्टर की फोटोप्रति प्रदर्श पी049सी है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी049सी में जो मुलाकातें करवायी गयी हैं, वह जेलर केशर एवं एस0आर0ठाकुर तथा यादव ने करवायी हैं, जिसके कॉलम नंबर 11 में उनके हस्ताक्षर हैं।

54. साक्षी रविन्द्र उपाध्याय (अ0सा038) ने कथन किया है कि अभियुक्त पियुष गूहा ने उसे बताया था कि अभियुक्त डॉ0 बिनायक सेन, अभियुक्त नारायण सान्याल से मिलने जेल जाते थे तो अभियुक्त नारायण सान्याल ने यह पत्र (आर्टिकल ए–8, ए–9 एवं ए–10) अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन को दिये थे और अभियुक्त विनायक सेन ने पियुष गूहा को यह पत्र कलकत्ता पहुंचाने के लिये दिया था। साक्षी एस0आर0ठाकुर (अ0सा043) ने कथन किया है कि दिनांक 24.02.1999 से दिनांक 29 मई 2007 तक वह उपजेलर के पद पर केन्द्रीय जेल, रायपुर में तैनात था। बाहरी व्यक्ति, जिसे जेल के बंदी से मिलना रहता है, वह जेल अधीक्षक को आवेदन देता है जिसे जेल का सिपाही जेलर के पास आता है उस पर जेलर कार्यवाही करता है तथा मंजूरी के पश्चात् जेलर कार्यालय में मुलाकात की कार्यवाही होती है। जेलर कार्यालय में विशिष्टि व्यक्तियों की मुलाकात होती है तथा सामान्य लोगों की मुलाकात, मुलाकात कक्ष में करायी जाती है। जेल में मुलाकात करने के संबंध मे रजिस्टर होता है, जिसमें मिलने वाले तथा बंदी का नाम एवं संपूर्ण विवरण लिखा जाता है। दिनांक 22.07.2006 को बंदी नारायण सान्याल से रिश्तेदार बता कर घरेलू चर्चा करने डॉ0 दिनायक सेन ने मुलाकात की थी, इस साक्षी के अनुसार वह डॉ0 विनायक सेन को जानता है जो आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त है। डॉ0 विनायक सेन से दिनांक 22.07.2006 को अभियुक्त नारायण सान्याल से उक्त मुलाकात के संबंध में रजिस्टर में प्रविष्टि कमांक–24

पर उल्लेखित है, उक्त रजिस्टर प्रदर्श पी049 है जिस पर उसके, अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन तथा नारायण सान्याल के हस्ताक्षर हैं।

55. साक्षी एस0आर0ठाकुर (अ0सा043) के कथनानुसार प्रदर्श पी049 के रजिस्टर के कमांक 28, 30, 65, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 85, 86 के अनुसार कमशः दिनांक 04.08.2006, 12.06.2006, 21.12.2006, 05.01.2007, 12.01.2007, 19.02.2007, 26.02.2007, 14.03.2007, 17.03.2007, 29.03.2007, 09.04.2007 एवं 19.04.2007 को अभियुक्त नारायण सान्याल से अभियुक्त विनायक सेन रिश्तेदार बता कर घरेलू चर्चा करने हेतु मुलाकात किया था। उक्त रजिस्टर के कॉलम नंबर–10 में अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन तथा कालम नंबर–11 में अभियुक्त नारायण सान्याल के हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने आर्टिकल ए–14 के पत्र एवं आर्डर बुक प्रदर्श पी024 की जप्ती पुलिस वालों द्वारा जप्ती पत्रक प्रदर्श पी025 के अनुसार जप्त किया जाना बतलाया है। इस साक्षी के कथनानुसार प्रदर्श पी049 के रजिस्टर की प्रविष्टि कमांक–24, 28, 30, 65, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80 एवं 85 के कॉलम नंबर–11 में मुलाकात अधिकारी के रूप में उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त विनायक सेन द्वारा अभियुक्त नारायण सान्याल से मुलाकात किये जाने के संबंध में दिये गये आवेदन में अपने को नारायण सान्याल का रिश्तेदार होना, नहीं लिखा है।

56. साक्षी जेलर पी0के0एस0चौहान (अ0सा051) ने भी अपने कथनों में करते हुये बताया है कि वह केन्द्रीय जेल रायपुर में दिनांक 11.11.2004 से 16.12.2006 तक जेलर के पद पर कार्यरत् था। इस दौरान उसने अभियुक्त नारायण सान्याल से भीष्मकिंगर, माधव सान्याल, बुला सान्याल, एवं डॉ0 विनायक सेन से मुलाकात करायी थी, जिसकी प्रविष्टि प्रदर्श पी049 के रजिस्टर में है, जिसके अनुसार हाजिर अदालत अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन उन्हें उस दिन अपने आपको अभियुक्त

नारायण सान्याल का रिश्तेदार बता कर मुलाकात किया था। उक्त रजिस्टर के कॉलम नंबर–9 में मिलने वालों, कालम नंबर–10 में बंदी के तथा कॉलम नंबर–11 में उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी के कथनानुसार दिनांक 26.05.2006, 05.06.2006, 19.06.2006, 03.07.2006, 08.07.2006, 19.08.2006, 09.09.2006, 18.09.2006, 25.09.2006, 03.10.2006, 18.10.2006, 24.10.2006, 13.11.2006, 18.11.2006, 27.11.2006, 04.12.2006 तथा दिनांक 14.12.2006 को अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन ने स्वतः को अभियुक्त नारायण सान्याल का रिश्तेदार बतला कर जेल में उसके समक्ष मुलाकात की थी, इस बाबत् रजिस्टर प्रदर्श पी049 के प्रविष्टि कमांक 38, 41, 43, 44, 45, 48, 52, 55, 60, 61, एवं 63 के कॉलम नंबर–9 में ए–1 से ए–1 भाग पर डॉ0 विनायक सेन तथा ए–2 से ए–2 पर अभियुक्त नारायण सान्याल तथा ए–3 से ए–3 भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

57. इसी प्रकार का कथन साक्षी जेलर आर0के0सिंह केशरी (अ0सा046) ने अपने कथन में किया है और बताया है कि वह दिनांक 11.11.2005 से दिनांक 08.07.2007 तक बिलासपुर जेल में जेलर के पद पर पदस्थ था। इस दिनांक 22.01.2007 को वकील साहिबा सुधा भारध्दाज एवं अभियुक्त विनायक सेन अभियुक्त नारायण सान्याल से मिलने आये थे, जिसके संबंध में मुलाकात रजिस्टर प्रदर्श पी0119 में प्रविष्टि है, जिसमें अभियुक्त विनायक सेन ने अभियुक्त नारायण सान्याल को अपना भाई होना बताया था, जिसकी प्रविष्टि उसने की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त रजिस्टर प्रदर्श पी0119 को पुलिस व्दारा जप्ती पत्र प्रदर्श पी0136 के मुताबिक जप्त किये जाने का कथन साक्षी ए0पी0सिंह (अ0सा045) जेलर बिलासपुर जेल ने अपने कथनों में किया है और जप्ती पत्र प्रदर्श पी0 136 के अ से अ भाग अपना हस्ताक्षर होना बताया है। उक्तानुसार जप्ती पत्र का समर्थन निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0सा095) ने भी अपने कथनों में किया है। उक्त

जप्ती कार्यवाही को अभियुक्तगण की ओर से किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

58. आई0एच0खान (अ0सा071) के कथनानुसार जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बिलासपुर ने उसे उनके पत्र कमांक प्रदर्श पी0118 के व्दारा प्रदर्श पी0119सी की सूची भेजी थी जो अभियुक्त नारायण सान्याल से मिलने वालों की थी। साक्षियों के उक्त कथनों को अभियुक्तगण व्दारा चुनौती नहीं दी गयी है। वैसे भी अभियुक्त नारायण सान्याल एवं विनायक सेन व्दारा जेल में मुलाकात किये जाने के तथ्य को अभियुक्त कथन के दौरान उक्त अभियुक्तों के व्दारा स्वीकार किया गया है। यद्यपि अभियुक्तगण व्दारा अभियुक्त परीक्षण में 'रिश्तेदार' बता कर मिलने के तथ्य से इंकार किया गया है, परन्तु साक्षियों के उपरोक्त अखण्डित कथनों से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त विनायक सेन ने अभियुक्त नारायण सान्याल से ऊपर दर्शित विभिन्न तारीखों में उसे अपना "रिश्तेदार होना" बता कर ही जेलों में मुलाकात किया है।

59. अभियुक्त विनायक सेन का नक्सलियों से संबंध होने के विषय में साक्षी दीपक चौबे (अ0सा07) ने अपने कथन में बताया है कि वह न्यायालय उपस्थित अभियुक्त डॉ0 बिनायक सेन और नारायण सान्याल को जानता है। अभियुक्त नारायण सान्याल उसका किरायेदार था। उसके ससुर अर्थात् इस साक्षी के ससुर शशिभूषण दौलत स्टैट डंगनिया, रायपुर में मकान है, जिसकी देखरेख वह तथा उसका साला करता है। साक्षी को यह पूछे जाने पर कि "मकान किराये में दिलाने के लिये कौन आया था, तब इस साक्षी ने अभियुक्त विनायक सेन को आना बताया है" इस पर अभियुक्त विनायक सेन के अधिवक्ता ने इसे 'सूचक प्रश्न' होना व्यक्त करते हुये आपत्ति की है, किन्तु विशेष लोक अभियोजक व्दारा इस साक्षी से उसके मुख्य परीक्षण के अनुक्रम में ही उक्त प्रश्न पूछा गया है, उसे किसी प्रकार का सुझाव नहीं दिया गया

है और न ही उसका उत्तर सुझाया गया है, अतः उक्त प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–141 की परिधि में नहीं आने से आपत्ति सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

60. साक्षी दीपक चौबे (अ0सा07) के कथनानुसार उनके द्वारा मकान को किराये में देने का समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया था, तब अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन, नारायण सान्याल एवं अनिता श्रीवास्तव मकान किराये पर लेने आये थे तथा मकान पसंद आने पर अभियुक्त नारायण सान्याल तथा अनिता श्रीवास्तव उक्त मकान पर किराये से रहने लगे। उक्त मकान का किराया 1500.00 रूपये प्रति माह दिया जाता था। अभियुक्त विनायक सेन ने उक्त मकान को किराये पर लेते समय अभियुक्त नारायण सान्याल को अपना रिश्तेदार होना बतलाया था। अभियुक्त विनायक सेन शहर के प्रतिष्ठित नागरिक होने के कारण उसके कहने पर उक्त मकान अभियुक्त नारायण सान्याल को किराये पर दिया था। तत्समय अनिता श्रीवास्तव ने विवेकानंद स्कूल में शिक्षिका का काम करना बतायी थी। अनिता श्रीवास्तव और अभियुक्त नारायण सान्याल 6–7 माह किराये से उक्त मकान पर निवास किये थे और जनवरी 2006 में जब वह किराया का पैसा लेने गया तब पड़ौसी शर्मा जी उसे बताया था कि उसके मकान में आन्ध्रप्रदेश पुलिस का छापा पड़ा है और अभियुक्त नारायण सान्याल को पुलिस गिरफ्तार कर ली है और अनिता श्रीवास्तव फरार है। अखबार पढ़ने पर उसे पता चला था कि अभियुक्त नारायण सान्याल बहुत बड़ा नक्सली है और पुलिस ने इन पर दो–तीन लाख रूपये का ईनाम रखा है। साक्षी ने आगे कथन किया है कि वह समाचार पत्र में पढ़ा था कि अभियुक्त विनायक सेन, नारायण सान्याल से मिलने जेल में जाते रहते थे।

61. साक्षी मनीष डागा (अ0सा08) के कथनानुसार वह जतन देवी डागा उच्चतर माध्यमिक शाला सिविल लाईन में प्राचार्य था, अनिता श्रीवास्तव को वह जानता है क्योंकि वह वर्ष 2004–2005 में

उसकी शाला में पढ़ाती थी और उसे प्रतिमाह तीन हजार रूपये वेतन दिया जाता था, किन्तु मार्च 2005 में वापस जाने के बाद वह दुबारा नहीं आयी। उसके नक्सली गतिविधियों में संबंध होने के बारे में वह पेपर में पढ़ा था। मीना सिंह पुरी (अ0सा010) के कथनानुसार वह विवेकानंद हायर सेकेण्ड्री स्कूल, न्यू शांति विहार नगर, डंगनिया की प्राचार्या है, अमिता(अनिता) श्रीवास्तव उसके स्कूल में करीब दो साल पहले शिक्षिका थी और वह एलिना सेन के माध्यम से स्कूल में नौकरी पर लगी थी। इस साक्षी के उक्त साक्ष्य के दौरान अभियुक्त विनायक सेन के विव्दान अधिवक्ता के व्दारा यह आपत्ति की गयी है कि "एलिना सेन का नाम लिया जाना प्रकरण में विवादित नहीं है, अतः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है", चूंकि ऐलिना सेन को अभियुक्त विनायक सेन ने अपनी पत्नी होना स्वीकार किया है तथा अभियोजन व्दारा प्रस्तुत अन्य साक्षियों ने ऐलिना सेन को अभियुक्त विनायक सेन की पत्नी होना अपने–अपने कथनों में बतलाया है, अतः प्रश्न सुसंगत होने से उक्त आपत्ति निरस्त की जाती है।

62. मीना सिंह पुरी (अ0सा010) के अग्रिम कथनानुसार मिसेस एलिना सेन ने अमिता श्रीवास्तव का परिचय यह कह कर दिया था कि इसे नौकरी की जरूरत है, इसे रख लीजिए। अमिता श्रीवास्तव इलाहाबाद यूनिर्सिटी में सोसियोलॉजी में एम0ए0 है। चूंकि वह अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल रही थी इसलिये उसने उसे नौकरी पर रख लिया था। वह सात महीने तक उसके स्कूल में कार्य की थी और फिर स्कूल आना बंद कर दी और आज तक नहीं आयी और न ही कोई त्याग पत्र दिया था। इस साक्षी का अभियोजन व्दारा क्रूटपरीक्षण भी किया गया है, जिसमें इस साक्षी ने यह बतायी है कि ऐलिना सेन उसे बतायी थी कि अमिता श्रीवास्तव उसके परिचित हैं, इसी कारण उसने अमिता श्रीवास्तव को नौकरी पर रखी थी। ऐलिना सेन उसे यह भी बतायी थी कि यह डागा स्कूल में पूर्व में काम कर चुकी है। अमिता के पास व्दितीय विश्वयुध्द के नॉजी कैम्प से संबंधित सी0डी0 थी जिसे बच्चों

को स्कूल में दिखाया गया था बाद में पता चला कि अमिता नक्सलियों से जुड़ी हुई है और वह फरार हो गयी है।

63. साक्षी अरूण कुमार दुबे (अ0सा085) के कथनानुसार वह सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की मुख्य शाखा रायपुर में सन् 2004 से सन् 2007 तक सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ था, उसका खुद का मकान कैलाशपुरी रायपुर में है। उसने शंकर सिंह नामक व्यक्ति को 1500.00 रूपये में दो कमरे किराये से दिया था। उसके पड़ोसी तथा शंकर सिंह ने उसे समाजसेवी संस्था में काम करना बताया था। शंकर सिंह ने कुछ दिन रहने के बाद यह कहा था कि उसके भाई –भौजायी आएंगे, वे लोग रहेंगे और वह आता–जाता रहेगा, वह शंकर सिंह को जाने। शंकर सिंह ने उसे बताया था कि उसकी भाभी स्कूल में टीचर है और भाई पत्रकार है। उसने भाभी का नाम अमिता बताया था, भाई का नाम याद नहीं होना कहा था। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि शंकर सिंह और अमिता से मिलने न्यायालय उपस्थित अभियुक्त नारायण सान्याल एवं अभियुक्त विनायक सेन भी आते थे। उस समय अभियुक्त विनायक सेन की दाढ़ी थी, अब नहीं है। इस साक्षी को शंकर सिंह एवं अमिता का फोटो दिखाने पर उसने उनकी फोटो को देख कर इनकी पहचान किया है जिसे प्रदर्श पी0171 एवं प्रदर्श पी061 अंकित किया गया है। उक्त फोटो को देखने के उपरांत इस साक्षी ने उन्हें हीं अपना किरायादार होना पहचान किया है। इस साक्षी ने अमिता के बैंक खाता खोलने के परिचयदाता के रूप में उसके खाता खोलने के आवेदन पत्र में अपना हस्ताक्षर होना बताया है। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि बिजली बिल की फोटोप्रति प्रदर्श पी63 उसकी पत्नी ने अमिता को एड्रेस प्रुफ के लिये दिया था क्योंकि मीटर उसकी पत्नी के नाम पर थी। प्रदर्श पी063 के अ से अ भाग पर उसकी पत्नी वीणा दुबे के हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन का दाढ़ी वाला फोटो प्रदर्श पी0172 तथा अभियुक्त नारायण सान्याल का फोटो प्रदर्श पी0173 दिखा कर पूछने

पर इस साक्षी व्दारा उक्त अभियुक्तों की सही पहचान की गयी है। उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों का समर्थन निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0सा095) ने भी अपने कथनों किया है।

64. साक्षी शेर सिंह बंदे पुलिस निरीक्षक (अ0सा049) के कथनानुसार वह दिनांक 06.04.2007 को थाना छुरिया में उपनिरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था तथा दिनांक 12.12.2007 से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होकर छुरिया में ही था। वह अभियुक्तगण को जानता है। इस साक्षी ने अभियुक्तगण को दौरान साक्ष्य न्यायालय में नाम से भी जानना बतलाया है। इस साक्षी के कथनानुसार थाना छुरिया, महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ा है, उस क्षेत्र में नक्सलियों के उच्चस्तरीय लोगों की मीटिंग होती है। वहां पर विष्णु मिलिन्द तुमडे, शंकर, अशोक, पार्वती, जयपाल तथा गनेशु और महिला नक्सली वर्षा, उर्मिला एवं अमिता भी सक्रिय हैं। नक्सलियों की मीटिंग में अभियुक्त विनायक सेन और एलिना सेन भी आते हैं। अभियुक्त नारायण सान्याल छुरिया क्षेत्र में नक्सलियों के साथ सक्रिय रहे हैं। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसे यह भी जानकारी है कि पी0यू0सी0एल0 के लोगों का छुरिया क्षेत्र में नक्सलियों से मिलना–जुलना है, अमिता, शंकर, नारायण सान्याल हार्डकोर नक्सली हैं।

65. साक्षी निरीक्षक सी0एल0सिरदार (अ0सा052) ने कथन किया है कि वह फर्सेगढ़, जिला बीजापुर में वह थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। इस दौरान नक्सली घटना के संबंध में थाना में अपराध कमांक 7/2007 दर्ज उसने किया था, जिसकी प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी0138 है (सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी0138सी) है जिसे उसने जप्ती पत्र प्रदर्श पी0139(सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी0139सी) के व्दारा जप्त किया गया था। उक्त प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी0138 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह उक्त प्रकरण में जप्तशुदा नक्सली

साहित्य की मूल प्रति लेकर भी साक्ष्य हेतु उपस्थित है जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्श पी0140 है जिसके पृष्ठों की फोटोकॉपी प्रदर्श पी140सी–1 से लेकर प्रदर्श पी0140सी–7 है। प्रदर्श पी0140 में अभियुक्त डॉक्टर विनायक सेन, एलिना सेन, विजैय्या, पी0वी0सी0ए0एल0 डिपार्टमेंट, राजेन्द्र सायल इत्यादि लिखा होना इस साक्षी ने कथन किया है। उपरोक्तानुसार साक्षियों का बचाव पक्ष की ओर से अत्यंत विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु इन साक्षियों के उक्तानुसार कथन उनके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं।

66. कुमारी काकुली दास (अ0सा021) के कथनानुसार वह सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के सिविल लाईन शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत् है। दिनांक 27.06.2007 को उसके पेश करने पर पुलिस ने सिविल लाईन रायपुर के दस्तावेज जप्त किये थे जिनमें से अमिता पति मनीष श्रीवास्तव के एकाऊंट ओपनिंग फॉर्म प्रारूप नंबर 90 पर नियम 114बी का फार्म, साथ में वीना दुबे का बिजली बिल, वीणा दुबे का अमिता को उसका किरायेदार होने का प्रमाण पत्र तथा कम्प्यूटर से निकाला गया लेजर प्रिंट आऊट जप्त किये थे। तत्संबंध में जप्ती पत्र प्रदर्श पी060 है जिस पर उसके हस्ताक्षर एवं बैंक के सील हैं। एकाऊंट ओपनिंग फार्म प्रदर्श पी061 है तथा अनिता श्रीवास्तव का घोषणा पत्र प्रदर्श पी 62 है, बिजली बिल प्रदर्श पी063 है तथा प्रदर्श पी064 एवं प्रदर्श पी065 अमिता श्रीवास्तव के खाता नंबर 11434 के लेजर का कम्प्यूटर प्रिंटआउट है जिस पर 1279084420 उल्लेखित है जो खाता कमांक 11434 का नया नंबर है। प्रदर्श पी066सी पॉस बुक जारी रजिस्टर की प्रतिलिपि है जिस पर अमिता श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं। उक्त तथ्यों का समर्थन साक्षी विजय कुमार लाड (अ0सा050) ने भी अपने कथनों में किया है।

67. योगेन्द्र खरे (अ0सा022) के कथनानुसार वह सेंट्रल बैंक इण्डिया रायपुर के जी0ई0रोड वाले मेन ब्रांच में दिनांक 09.04.2007 से दिनांक 30.09.2007 तक सीनियर मैनेजर के पद पर पदस्थ था। दिनांक 27.06.2007 को पुलिस ने प्रदर्श पी055 के जप्ती पत्र के अनुसार उससे बैंक के दस्तावेज जप्त किये थे। प्रदर्श पी056 शंकर सिंह के खाते का प्रिंटआउट है, प्रदर्श पी057 से प्रदर्श पी060 वही दस्तावेज हैं जो उससे जप्त किये गये थे जिसकी फोटोप्रतियां प्रदर्श पी057सी से प्रदर्श पी060सी हैं। उक्त तथ्यों का समर्थन टी0एस0बालाचंद्रन (अ0सा020), पी0रामा कृष्णा राव(अ0सा023) एवं संजय कुमार गोयल (अ0सा055) ने भी किया है।

68. साक्षी पी0रामा कृष्णा राव(अ0सा023) के कथनानुसार वह अप्रैल 2007 में कार्पोरेशन बैंक के नवभारत प्रेस काम्प्लेक्स वाले मुख्य शाखा में मैनेजर के पद पर पदस्थ था। दिनांक 28.05.2007 को पुलिस ने उससे बैंक का दस्तावेज जप्त किया था, जप्ती पत्र प्रदर्श पी067 पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी067 के अनुसार शंकर सिंह का एकाऊंट ओपनिंग फार्म, शंकर सिंह का 'रूपांतर ट्रष्ट' का कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं बैलेंश शीट जप्त किया गया था जो प्रदर्श पी068 से प्रदर्श पी070 है। शंकर सिंह का बैलेंसशीट प्रदर्श पी070 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी071 है तथा अन्य दस्तावेज प्रदर्श पी073 से प्रदर्श पी078 है। उक्त दस्तावेजों को प्रकरण में साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत करने के संबंध में अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति दर्ज करायी गयी है, चूंकि प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के युक्तियुक्त निराकरण के लिये सुसंगत है, अतः अभियुक्तगण की उक्त आपत्ति निरस्त की जाती है।

69. साक्षी रामस्वरूप (अ0सा044) के कथनानुसार वह शंकर सिंह को अपना रोहिणीपुरम रायपुर का मकान किराये पर दिया था, प्रदर्श पी060 के दस्तावेज में लगे फोटो को साक्षी ने शंकर सिंह का फोटो होना बतलाया है, शंकर सिंह ने उसे रूपांतर कार्यालय कटोरा

तालाब, रायपुर में काम करना तथा रूपांतर कार्यालय एलिना सेन का होना बतलाया था। मकान छोड़ने के उपरांत शंकर सिंह का पता नहीं है कि वह कहां है। उदयचंद जैन (अ0सा053) के कथनानुसार वह कार्पोरेशन बैंक रजबंधा मैदान रायपुर में अधिकारी के पद पर पदस्थ है। प्रदर्श पी077 एलिना सेन का खाता क्रमांक 10521 है जिसमें परिचयकर्ता विनायक सेन का नाम एवं हस्ताक्षर है। दिनांक 03.11.2003 को खातेदार शंकर सिंह ने प्रदर्श पी068 का खाता खुलवाया था और उसके परिचयदाता के रूप में प्रदर्श पी068 में एलिना सेन के नाम एवं हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी के व्दारा खातेदार रूपांतर संस्था, एलिना सेन का खाता, पुनः एलिना सेन का बचत खाता, एलिना सेन तथा सुरेश साहू का बचत खाता, शंकर सिंह का खाता का दिनांक 01.04.2004 से दिनांक 31.03.2007 तक के स्टैटमेंट ऑफ एकाउंट लेकर आना बताते हुये उसे प्रमाणित किया गया है जो प्रदर्श पी0141 से प्रदर्श पी0146 तक है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं जो अनेक पन्नों में हैं। उक्त तथ्यों का समर्थन निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0सा098) ने भी किया है।

70. उपरोक्त साक्षियों के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि हार्डकोर नक्सली शंकर सिंह एवं अमिता श्रीवास्तव से एलिना सेन तथा अभियुक्त विनायक सेन का परिचय एवं संबंध है, जिनसे परिचय एवं जिनकी सहायता के आधार पर हार्डकोर नक्सली अमिता श्रीवास्तव एवं शंकर सिंह के बैंक में खाते खुलवाये गये हैं तथा उन्हें नौकरी व किराये के मकान भी उपलब्ध करवाये गये हैं।

71. साक्षी प्राचार्य अंबा दास राजाराम वानखेडे (अ0सा054) के कथनानुसार वह दिनांक 01.08.1999 से दिनांक 07.12.2007 तक पीडब्ल्यूएस आर्ट्स एण्ड कामर्स कॉलेज कामठी रोड नागपुर में प्राचार्य के पद पर पदस्थ था। वह सोमा सेन पति तुषारकांत भट्टाचार्य को पहचानता है, वह उसके कॉलेज में प्रोफेसर थी। सोमा सेन अवकाश

पर जाती थी तो उसे आवेदन देती थी। प्रदर्श पी0147 से प्रदर्श पी0150 उक का आवेदन सोमा सेन व्दारा लिखित है। सोमा सेन (अ0सा063) ने कथन की है कि वह अभियुक्त विनायक सेन तथा उसकी पत्नी एलिना सेन को जानती है। उसके पति तुषारकांत भट्टाचार्य हैदराबाद जेल में हैं, तीस साल पहले कोई नक्सली गतिविधि हुई थी जिसके संबंध में उसके पति सितंबर 2007 में पटना में गिरफ्तार हुए थे। प्रदर्श पी0156 तथा प्रदर्श पी0157 के पत्र उसकी हस्तलिपि हैं जिनके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके नमूने की हस्तलिपि एवं नमूने के हस्ताक्षर प्रदर्श पी0158 लगायत प्रदर्श पी0161 है, ये सभी उनकी हस्तलिपि में हैं और इन पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी0147 लगायत प्रदर्श पी0160 के आवेदन उसकी हस्तलिपि में हैं और उन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

72. सोमा सेन (अ0सा063) ने आगे कथन की है कि वह अभियुक्त विनायक सेन को वर्ष 2004 से वर्ल्ड सोशल फोरम के कार्यक्रम के बाद से जानती है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं को पीयूसीएल के मेंबर तथा कमेटी अगेंस्ट वॉयोलेंस आफ वीमन की उपसंयोजिका होना स्वीकार की है। मदन बरखड़े व्दारा अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन को लिखा गया पत्र आर्टिकल ए–20, जिसे विनायक सेन से पुलिस व्दारा जप्त किया गया है, को इस साक्षी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में वही पत्र होना होना बतलायी है जिसे मदन बरखड़े ने अभियुक्त विनायक सेन को लिखा था।

73. साक्षी सी0एस0पी0 आई0एच0खान (अ0सा071) के कथनानुसार वह दिनांक 22.11.2007 को नागपुर गया था और नागपुर में सोमा सेन तथा ए0आर0 वानखेडे का कथन दर्ज किया था तथा सोमा सेन से प्रदर्श पी0158 से प्रदर्श पी0161 के नमूना हस्ताक्षर लिया था और ए0आर0 वानखेडे ने प्रदर्श पी0147 से प्रदर्श पी0150 के सोमा सेन से संबंधित आवेदन पत्र उसके मांगने पर प्रदर्श पी0185 के पत्र के

अनुसार उसे दिया था, इस तथ्य को अभियुक्तगण व्दारा इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गयी है और इस साक्षी का उक्तानुसार कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित है, जिसका समर्थन निरीक्षक बी.एस.जामूत (अ0सा095) ने भी अपने कथनों में किया है।

74. साक्षी आई0एच0खान (अ0सा071) ने आगे कथन किया है कि उसने थाना टिकरापारा रायपुर के अपराध कमांक 75/2008 की विवेचना किया था। प्रदर्श पी0233सी उक्त अपराध के प्रथम सूचना पत्र की सत्यप्रतिलिपि है। इस अपराध में मालती उर्फ के0एस0प्रिया उर्फ प्रमुकुमारी पति ए0रामचंद्ररेड्डी उर्फ विजय उर्फ गुडसा उसेण्डी अभियुक्त हैं। मालती से तीन तेलगू पत्र एवं दो सी0डी0जप्त हुए थे, जप्ती पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्श पी0265सी है जिस पर शासन के विरूध्द चित्रण किया गया था। मालती एवं उसके पति गुडसा उसेंडी सी0पी0आई0 माओवादी का सकिय सदस्य है। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि दिनांक 21.01.2008 को थाना डीडी नगर रायपुर के अपराध कमांक 14/2008 विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबध्द हुआ था जिसमें मालती के साथ अन्य अभियुक्तों के विरूध्द चालान पेश की गयी है। के0बी0खत्री (अ0सा085) एवं नरेश कुमार पटेल (अ0सा092) ने मालती का माओवादी सीपीआई से संबंध होने बाबत् कथन करते हुये उसे हार्डकोर नक्सली होना बतलाया है। तर्क के दौरान विशेष लोक अभियोजक व्दारा उक्त प्रकरण की अभियुक्ता मालती को भारतीय दण्ड विधान तथा जनसुरक्षा अधिनियम 2005 व विधि विरूध्द कियाकलाप अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं में चतुर्दश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) रायपुर के न्यायालय व्दारा दण्डित किया जाना बतलाया गया है।

75. श्याम सुंदर राव (अ0सा012), निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0सा095) एवं डीएसपी बी0बी0एस0राजपूत (अ0सा097) के व्दारा

अभियुक्त विनायक सेन के मकान से प्रदर्श पी021 के अनुसार आर्टिकल ए–38 से आर्टिकल ए–48 तक की आठ सी0डी0 एवं एक सी0पी0यू0 जप्त होना प्रमाणित किया गया है जिसे अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन के व्दारा अपने अभियुक्त परीक्षण में स्वीकार भी किया गया है। इस संबंध में निरीक्षक विश्वास चंद्राकर (अ0सा033) ने कथन किया है कि वह जून 2007 में थाना प्रभारी, धरसीवां के पद पर पदस्थ था। उसे वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा एफ0एस0एल0, हैदराबाद जाकर सी0पी0यू0 जांच कराने का आदेश मिला था जिस पर वह पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के ज्ञापन दिनांक 05.06.2007 के साथ एक सी0पी0यू0 सीलबंद हालत् एफ0एस0एल0 हैदराबाद गया था जहां उक्त सीलबंद सी0पी0यू0 एवं ज्ञापन देकर रसीद प्राप्त किया था। तत्संबंध में पुलिस महानिदेशक रायपुर का ज्ञापन प्रदर्श पी0121 है तथा एफ0एस0एल0 हैदराबादा से जो पावती प्राप्त हुई थी वह प्रदर्श पी0122 है। विश्वास चंद्राकर के कथनानुसार आठ–दस दिन के बाद वह पुनः एफ0एस0एल0 रिपोर्ट प्राप्त करने हैदराबाद गया था, एफ0एस0एल0 हैदराबाद से उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी0123 एवं एक सी0वी0डी0 प्राप्त किया था जिसे इस प्रकरण के विवेचना अधिकारी को सौंप दिया था। एफ0एस0एल0 रिपोर्ट प्रदर्श पी0123 को धारा–293 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत न्यायालय व्दारा अभियुक्तगण की सहमति से प्रदर्श चिन्हांकित किया गया है और अभियुक्तगण व्दारा संबंधित विशेषज्ञों से प्रतिपरीक्षण किये जाने की प्रत्याशा नही की गयी है।

76. सहायक उपनिरीक्षक एस0एल0कश्यप (अ0सा068) के कथनानुसार उसे थाना गंज के अपराध कमांक 44/2007 में हैदराबाद से सी0पी0यू0 लाने का आदेश दिया गया था, उक्त आदेश प्रदर्श पी0178 है, उसे एक बंद लिफाफा संचालक, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद के नाम से दिया गया था जिसे देकर वहां से सीलबंद हालत में एक सी0पी0यू0 लाकर उसने थाना गंज रायपुर में जमा कर दिया था।

77. निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0सा095) के कथनानुसार प्रदर्श पी0121 के अनुसार जप्त सी0पी0यू0 का परीक्षण कर एफ0एस0एल0 हैदराबाद व्दारा डी0व्ही0डी0 बनायी गयी थी, जिसे सीलबंद हालत में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, तदुपरांत न्यायालय के आदेशानुसार उक्त डी0वी0डी0 की चार प्रति करायी गयी थी, जिसकी प्रति सभी अभियुक्तों को दी गयी थी, उक्त डी0वी0डी0 से प्रिंट आउट कराया गया था, जो इस न्यायालय में 8 बक्सों में 58 बुक के रूप में प्रस्तुत है, प्रिंट आउट के उपरोक्त बाक्स आर्टिकल ए–64 से आर्टिकल ए–69 तथा 58 बुक्स आर्टिकल ए–70 से लेकर ए–127 तक है। न्यायालय व्दारा एक सीलबंद पैकेट जिसमें सी0पी0यू0 की प्रारंभिक रिपोर्ट दिनांक 18.06.2007 तथा सी0पी0यू0 की डी0वी0डी0 होना लिखा है, को खोलने पर पुनः एक लिफाफा प्राप्त हुआ, जिसमें एक डी0वी0डी0 निकली, यह डी0वी0डी0 आर्टिकल ए–128 है, जो आर्टिकल ए–46 के डी0वी0डी0 की है और यही डी0वी0डी0 एफ0एस0एल हैदराबाद से प्राप्त हुई थी और इसी का प्रिंट आउट आर्टिकल ए–70 से आर्टिकल ए–127 है। आर्टिकल ए–46 की डी0वी0डी0 हैदराबाद भेजी गयी थी, जिसका परीक्षण कर वहां से आर्टिकल ए–128 की डी0वी0डी0 बनाकर भेजी गयी थी तथा तत्संबंध में उन्होंने अपना अभिमत प्रदर्श पी0122 भी भेजा था। आर्टिकल ए–70 से आर्टिकल 127 का प्रिंट हजारों पन्नों में है। उनकी समरी आर्टिकल ए–129 है जो 141 पन्नों में है। आर्टिकल ए–129 में सुसंगत अंश को हाईलाईट किया गया है। अभियुक्त विनायक सेन के आधिपत्य से जप्तशुदा आठ सी0डी0 आर्टिकल ए–38 सेए–45 का प्रिंट आउट प्रदर्श पी0368 से प्रदर्श पी0393 है जिसकी संक्षिप्त विवरणिका प्रदर्श पी0394 है। इस प्रकार जप्तशुदा सी0पी0यू0 का विधिवत् जांच करा कर प्रिंट आउट किया जाना एवं रिपोर्ट प्राप्त किया जाना प्रमाणित पाया जाता है।

78. दिनेश कुमार (अ0सा081) के कथनानुसार वह बी0एस0एन0एल0 रायपुर में एस0डी0कामर्शियल के पद पर पदस्थ है,

पुलिस ने उससे अभियुक्त विनायक सेन के व्दारा टेलीफोन शिफ्टिंग हेतु दिये गये आवेदन जो लैण्डलाईन 2422875, 2424689, 2524470 एवं 524471 जप्ती पत्र प्रदर्श पी0212 के अनुसार जप्त किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त नंबरों से संबंधित असल आवेदन प्रदर्श पी0213 लगायत प्रदर्श पी0216 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी0213सी लगायत प्रदर्श पी0216सी हैं। इस साक्षी के कथनानुसार पुलिस उससे फोन नंबर 2510242, 2529100, 2523969 का आवेदन जप्त किया था, जप्ती पत्र प्रदर्श पी0217 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त मूल आवेदन प्रदर्श पी0218 लगायत प्रदर्श पी0220 है जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्श पी0218सी से प्रदर्श पी0220सी हैं। पुलिस अधीक्षक रायपुर ने उससे फोन नंबर 2422875, 2424689, 2100596, 2524770, 2524771, 2423875 के संबंध में जानकारी मांगी थी जो प्रदर्श पी0221 के व्दारा गयी गयी थी। फोन नंबर 2523969, 2529100, 2510242 के कॉल डिटेल भी मांगे गये थे। इस साक्षी के उक्त कथनों को अभियुक्तगण व्दारा दौरान प्रतिपरीक्षण कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

79. साक्षी साईदत्त बोहरे (अ0सा1096) के कथनानुसार वह एयर टेल लिमिटेड में नोडल आफिसर के पद पर कार्यरत् है। उसने अपनी कंपनी की ओर से मोबाइल नंबर 9893224291 के एन्सेलमेंट फॉर्म तथा कॉल डिटेल पुलिस के मांगने पर दिया था। प्रदर्श पी0224 पुलिस अधीक्षक रायपुर का मेमो है जिसके व्दारा उक्त जानकारी मांगी गयी थी। इसकी सत्यापित प्रति क्रमशः प्रदर्श पी0353 से प्रदर्श पी0357 है जिसके अनुसार मोबाईल नंबर 9893224291 का धारक प्रदर्श पी0353 के अनुसार एलिना सेन पति विनायक सेन निवासी ए/26 सूर्या अपार्टमेंट कटोरा तालाब रायपुर है जिसकी कॉल डिटेल क्रमशः प्रदर्श पी0358 से प्रदर्श पी0364 है। इस साक्षी के उक्त कथनों को अभियुक्तगण व्दारा दौरान प्रतिपरीक्षण कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

80. साक्षी सचिन सोन कुसले (अ0सा083) के कथनानुसार उसे फोन नंबर 0771–6540728 के धारक एवं कॉल डिटेल की जानकारी ज्ञापन कमांक 225 के अनुसार पुलिस अधीक्षक रायपुर के व्दारा मांगी गयी थी जिसके अनुसार उसने प्रदर्श पी0228 की जानकारी दी थी जिससे संबंधित मूल दस्तावेज प्रदर्श पी0288 लगायत प्रदर्श पी0291 तथा प्रदर्श पी0293 व प्रदर्श पी0294 है। इनकी छायाप्रतियां प्रदर्श पी0288सी से प्रदर्श पी0291सी तथा प्रदर्श पी0293सी व प्रदर्श पी0294सी है। इस साक्षी के उक्त कथनों को अभियुक्तगण व्दारा दौरान प्रतिपरीक्षण कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

81. शैलेन्द्र पाण्डे (अ0सा084) के कथनानुसार वह बी0एस0एन0एन0 रायपुर में जे0टी0आई0मोबाईल के पद पर पदस्थ है। पुलिस अधीक्षक रायपुर के व्दारा प्रदर्श पी0227 के अनुसार उसके कार्यालय से मोबाईल नंबर 9425206875 के काल डिटेल तथा धारक की जानकारी मांगी गयी थी जिसकी जानकारी दी गयी थी। उक्त मोबाईल नंबर की धारक एलिना सेन है जिसका कस्टमर एक्वीजिशन फार्म प्रदर्श पी0228 है तथा प्रदर्श प्रतिलिपि प्रदर्श पी0228सी है। एड्रेस प्रुफ से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श पी0229 लगायत प्रदर्श पी0232 है जिसकी छायाप्रतियां प्रदर्श पी0229सी से प्रदर्श पी0232सी है। इस साक्षी के उक्त कथनों को अभियुक्तगण व्दारा दौरान प्रतिपरीक्षण कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

82. मनोज कुमार सोनी (अ0सा087) के कथनानुसार वह बी0एस0एन0एल0 रायपुर में उपमहाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी के पद पर पदस्थ है, उससे मोबाईल नंबर 9433140168 के कॉल डिटेल्स मांगे गये थे, काल डिटेल का फार्मेट प्रदर्श पी0236 है। उक्त काल डिटेल्स 28 पन्नों में है जो प्रदर्श पी0237 से प्रदर्शपी0264 तक हैं जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मोहन थापा (अ0सा088) के कथनानुसार प्रदर्श पी0204 के ज्ञापन उसे पुलिस अधीक्षक रायपुर से प्राप्त होने पर तथा

मोबाईल नंबर 09732449150 के धारक के बारे में जानकारी मांगने पर तत्संबंध में प्रदर्श पी0205 से प्रदर्श पी0209 की जानकारी दी गयी थी। उक्त तथ्यों का समर्थन करते हुये साक्षी बी0एस0जागृत (अ0सा095) ने कथन किया है कि कॉल डिटेल प्रदर्श पी0240 में अ से अ भाग पर 9433140188 जो कि बुला सान्याल के नाम का फोन नंबर है, से रायपुर के फोन नंबर 9893224291 से दिनांक 03.02.2007 को बातचीत हुई। इस प्रकार प्रदर्श पी0244 से प्रदर्श पी0263 के काल डिटेल के अनुसार बुला सान्याल के मोबाईल से अभियुक्त विनायक सेन के मोबाईल से बातचीत हुई है। प्रदर्श पी0309 से प्रदर्श पी0318 के अनुसार बुला सान्याल के मोबाईल से अभियुक्त विनायक सेन के मोबाईल से बातचीत हुई । इस साक्षी ने आगे और स्पष्ट किया है कि अभियुक्त विनायक सेन एवं उसकी पत्नी एलिना सेन का फोन नंबर 2422875, 2424609, 2423875, 2100586, 6540728 और मोबाईल नंबर 9425206975, 989322429 9926003877, 9926003877, 9425206275 है तथा अभियुक्त पियूष गूहा का मोबाईल नंबर 9732449150 है। इस साक्षी के कथनानुसार मोबाइल नंबर 9433140188 अभियुक्त नारायण सान्याल के बड़े भाई की धर्मपत्नी बुला सान्याल कोलकाता निवासी पी–7 सोनहाटी के पते पर है। इस प्रकार अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन का अभियुक्त नारायण सान्याल के परिवार वालों से फोन से बातचीत एवं संपर्क होने का तथ्य भी प्रमाणित होता है। अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन ने स्वयं भी अपने अभियुक्त कथन में बुला सान्याल से फोन पर बातचीत होना स्वीकार किया है।

83. साक्षी बी0एस0नरवी (अ0सा069) के कथनानुसार इस उसने प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रमुख सचिव, गृह को भेजा जो कि प्रदर्श पी021 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी विकासशील (अ0सा039) के कथनानुसार वह 30 अप्रैल 2007 से 23 अप्रैल 2008 तक कलेक्टर रायपुर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर के पद पर पदस्थ था, तब उसके पास पुलिस अधीक्षक रायपुर के द्वारा

दिनांक 18.07.2007 को थाना गंज जिला रायपुर के अपराध कमांक 44/2007 में विशेष जनसुरक्षा अधिनियम की धारा–18(4) के अंतर्गत न्यायालय को प्रकरण संज्ञान लेने बाबत् रिपोर्ट दिये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव के साथ प्रकरण की केस डायरी तथा संलग्न दस्तावेजों को भी भेजा गया था तब उसने पुलिस अधीक्षक का प्रस्ताव दिनांक 18.07.2007, प्रकरण की केस डायरी तथा उसमें संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन कर विशेष जनसुरक्षा अधिनियम की उक्त धारा के तहत प्रकरण संज्ञान लेने योग्य होना पाकर अपराध का संज्ञान लेने बाबत् प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रायपुर को प्रेषित किया था जो प्रदर्श पी0127 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन प्रदर्श पी0129 है। साक्षी डी0आर0ध्रुव (अ0सा056) के कथनानुसार वह अक्टूबर 2006 में छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय के गृह विभाग में कार्यरत है। वह डॉक्टर एस0वी0प्रभात को जानता है, वे गृह विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत् थे। वे उनके साथ करीब डेढ़ वर्षों तक कार्यरत् रहे, इस कारण वह उसके हस्ताक्षर को पहचानता है। प्रदर्श पी0151 तथा प्रदर्श पी0152 के अ से अ भाग पर डॉ0 एस0वी0प्रभात के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी0 151 तथा प्रदर्श पी0152 अभियोजन स्वीकृति से संबंधित आदेश है। इस प्रकार अभियोजन के व्दारा विधि व्दारा अपेक्षित विवेचना संबंधी अनुमति एवं अभियोजन स्वीकृति लिये जाने के उपरांत अभियुक्तगण के विरूध्द न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित होता है।

84. साक्षी कलेक्टर के0आर0पिसदा (अ0सा073) के कथनानुसार वह माह फरवरी 2007 से दिसंबर 2007 तक कलेक्टर जिला दंतेवाडा के पद पर पदस्थ था। दिसंबर 2007 से मार्च 2009 तक कलेक्टर कांकेर के पद पर पदस्थ था। इस साक्षी के कथनानुसार पूरा दंतेवाड़ा जिला नक्सली प्रभावित क्षेत्र है तथा कांकेर जिला अंशतः नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। वह उक्त जिलों में पदस्थ होने से भलवा जुडुम के बारे में बता सकता है। उस क्षेत्र में नक्सली अवस्था विगत तीस सालों

से चली आ रही है। प्रारंभ में नक्सलियों के व्दारा अपने आपको आम जनता के समक्ष उनके हितचिंतक एवं हितैषी के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसके कारण उन्हें आम जनता का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त हुआ। जनता के इसी सहयोग एवं समर्थन के कारण नक्सलियों ने पूरे क्षेत्र में अपने संगठन का विस्तार किया, लेकिन जैसे–जैसे नक्सली संगठन मजबूत होते गये, वैसे–वैसे आदिवासियों के जनजीवन में उनका हस्तक्षेप बढ़ता गया। नक्सलियों व्दारा क्षेत्र के लोगों से अवैध रूप से चंदा उगाही की जाती थी, अपने संगठन में भर्ती होने की मांग की जाती थी, विकासकार्य होने नहीं दिया जाता था। हाट–बाजार बंद कराये जाते थे, यातायात के साधनों को बंद कराया जाता था। इस तरह की गतिविधियों के कारण लोगों में नक्सलियों के विरूध्द आक्रोश बढ़ता जा रहा था। नक्सलियों की बात नहीं मानने पर ग्रामवासियों को नक्सलियों व्दारा जनअदालत लगा कर सजा दी जाती थी जिसमें कई लोगों की हत्या कर दी जाती थी। नक्सलियों का आतंक तथा प्रताड़ना इतना बढ़ गया कि क्षेत्र के आदिवासियों के बीच अपना जीवन मरण का प्रश्न उत्पन्न हो गया। उक्त कारणों से वर्ष 2005 के जून महीने में नक्सलियों के विरूध्द नक्सल विरोध "सलवा जुडुम" अभियान प्रारंभ किया गया।

85. साक्षी जिलाधीश के0आर0पिसदा (अ0सा073) के कथनानुसार "सलवा जुडुम" गोंडी भाषा का शब्द है जिसमें "सलवा" का अर्थ "शांति" तथा "जुडुम" का अर्थ " किसी निश्चित प्रयोजन के लिये एक जगह जुड़ना" होता है। इस तरह सलवा जुडुम का सामूहिक अर्थ हिन्दी में "शांति के लिये जुड़ना" कहा जा सकता है। इस प्रकार इस साक्षी के व्दारा अत्यंत विस्तारपूर्वक सलवा जुडुन के बारे में बतलाया गया है। इस साक्षी ने आगे बतलाया है कि दंतेवाड़ा में जो नक्सली संगठन कार्य करता है, उसे "सी0पी0आई0–माओवादी" के नाम से जाना जाता है। इनके व्दारा इस क्षेत्र में जोनल कमेटी, दलम कमेटी, एरिया कमेटी तथा और भी बहुत सारे संगठन बना कर

अपनी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इनके ग्राम स्तरीय संगठनों में दण्डकारण्य किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी महिला संगठन आदि हैं। इस संबंध में निरीक्षक बी0एस0जागृत (अ0स0095) ने कथन किया है कि नक्सली सी0पी0आई0 माओवादी है और 6 फ्रंट संगठन हैं जो प्रतिबंधित हैं। उनका नाम "दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आर0पी0सी0 तथा जनताना सरकार एवं सीपीआई–माओवादी हैं।" उक्त सभी संगठन प्रतिबंधित हैं।

88. अधिसूचना–कएफ–4–101/गृह–सी/07दिनांक12–4–2007, छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12–4–2007 को पृष्ठ कमांक 203 पर प्रकाशित अनुसार :–

"छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (कमांक–14 सन् 2006), धारा–3(1)– चूंकि राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि निम्नलिखित संगठन विधि विरूध्द गतिविधियों तथा हिंसा एवं आतंक की गतिविधियों में लिप्त हैं, आग्नेय–शस्त्रों, विस्फोटकों तथा अन्य युक्तियों को बढ़ावा देने, लोक व्यवस्था, सशांति एवं सुरक्षा में, बाधक, संचार साधनों को विछिन्न करने, विधि के प्रशासन में बाधा डाल रहे हैं तथा स्थापित विधि एवं संस्थाओं के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि राज्य की सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करने वाले हैं,

और चूंकि इस संबंध में इन संगठनों की विधि विरूध्द गतिविधियों से हत्या, आगजनी, लूट, अपहरण की घटनाएं घटित हो रही हैं एवं आग्नेय शस्त्रों तथा विस्फोटकों का संकलन एवं उनका उपयोग हो रहा है, राज्य सरकार को यह समाधान हो रहा है कि ऐसा करना आवश्यक है कि, ऐसे संगठनों को विधि विरूध्द संगठन घोषित करे।

अतएव् छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम,2005 (कमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उपधारा (1) व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्व्दारा निम्नलिखित संगठनों को दिनांक 12 अप्रैल, 2007 से एक वर्ष के लिये विधि विरूध्द संगठन घोषित करती है :–

(1) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी),
(2) दण्डिकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ,
(3) कांतिकारी आदिवासी महिला संघ,
(4) कांतिकारी आदिवासी बालक संघ,
(5) कांतिकारी किसान कमेटी,
(6) महिला मुक्ति मंच ।"

87. इसी प्रकार छत्तीसगढ शासन के अधिसूचना कमांक क. एफ4–101/गृह–सी/2007 दिनांक 11–4–2008, छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11–4–2008 को पृष्ठ 222 (13) पर प्रकाशित अनुसार :–

"छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (कमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उपधारा (1) व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–4–101/गृह–सी/07, दिनांक 12 अप्रैल, 2007 में वृध्दि करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (माओवादी) और इसके चार अग्र (फ्रंट) संगठनों– दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, कांतिकारी आदिवासी महिला संघ, कांतिकारी आदिवासी बालक संघ एवं कांतिकारी किसान कमेटी को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरूध्द संगठन घोषित करती है।"

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना प्रदर्श पी0367 के अनुसार अधिसूचना कमांक–एफ–4–101/गृह–सी/07 दिनांक 11 अप्रैल 2008, में वृध्दि करते हुये कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (माओवादी) और इसके चार अग्र (फ्रंट) संगठनों– दण्डकारण्य

आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ एवं क्रांतिकारी किसान कमेटी को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरूध्द संठन घोषित किया गया है।

88. इस प्रकार अपराध दिनांक को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार व्दारा 'प्रतिबंधित संस्था' घोषित कर दी गयी थी। इसी प्रकार विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) 1967 की धारा– 2(1)(ड.) तथा धारा– 35 की अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में कमांक–24 पर कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्किस्ट–लेनिनिस्ट) पीपुल्स वार, इसके सभी रूप और अग्रणी संगठन को दर्शित किया गया है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) में शामिल हो चुके हैं।

89. साक्षी बी0एस0जागृत (अ0सा095) के कथनानुसार हाजिर अदालत अभियुक्तगण सी0पी0आई0 माओवादी संगठन के हैं। अभियुक्त नारायण सान्याल सी0पी0आई माओवादी–पोलित ब्यूरो के स्थायी सदस्य हैं जिसका नाम अभियुक्त पियूष गूहा से जप्तशुदा पत्रिका प्रदर्श पी0 में है। प्रदर्श पी0268 के अनुसार आन्ध्रप्रदेश सरकार ने सी0पी0आई0 माओविस्ट के वांडेट नारायण सान्याल के ऊपर बारह लाख रूपये का गिरफ्तारी पर ईनाम रखा है। प्रदर्श पी0277 के सीरियल कमांक–8 में उक्त ईनाम घोषित किया गया है।

90. साक्षी बी0एस0जागृत (अ0सा095) के कथनानुसार नक्सली अर्थात् सी0पी0आई0 माओवादी का इस क्षेत्र में दो प्रकार के नेटवर्किंग 'शहरी एवं ग्रामीण' हैं। शहरी नेटवर्किंग वाले नक्सली अर्थात् सी0पी0आई0 माओवादी ग्रामीण क्षेत्र को शस्त्र, गोला बारूद, हथियार, मेडीसीन एवं प्रचार –प्रसार की सामग्री की पूर्ति कर सहायता पहुंचाते हैं। न्यायालय उपस्थित अभियुक्तगण शहरी नेटवर्किंग में कार्य

करते थे। ये शहरी नेटवर्किंग वाले ग्रामीण नेटवर्किंग वाले नक्सलियों को प्रचार, प्रसार और सामग्री की सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। रायपुर तथा दुर्ग शहर में नक्सलियों का शहरी नेटवर्क है। रायपुर तथा दुर्ग में जो हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था, उस सिलसिले में के0एस0प्रिया उर्फ मालती उर्फ शांति उर्फ प्रेमकुमारी पत्नी गुडसा उसेंडी उर्फ विजय, प्रफुल्ल झा जखीरे के साथ पकड़े गये थे जिसके संबंध में तीन प्रकरण रायपुर व दुर्ग के न्यायलय में चल रहे हैं। उक्त के0एस0प्रिया, गुडसा उसेंडी तथा प्रफुल्ल झा हार्डकोर नक्सली हैं। इन लोगों का अभियुक्त विनायक सेन के निवास से दिनांक 19.05.2007 को जप्त सी0पी0यू0 के हार्ड डिस्क से प्रिंट डी0वी0डी0 के प्रिंट आऊट में नाम है।

91 साक्षी बी0एस0जागृत (अ0सा095) के कथनानुसार 'रूपांतर' रायपुर में नक्सलियों की संस्था है जिसे एलिना सेन एवं अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन चलाते हैं। "रूपांतर संस्था" में प्रोजेक्ट आफिसर के रूप में डी0वी0डी0 के प्रिंट आऊट में डॉ0 विनायक सेन के नाम का उल्लेख आया है तथा उसके व्दारा 5500.00 रूपये मासिक वेतन रूपांतर संस्था से प्राप्त करने के संबंध में भी उल्लेख है। यह रूपांतर संस्था नक्सलियों का शहरी नेटवर्किंग संस्था है। यहां यह उल्लेख किया जाना अप्रासंगिक नहीं होगा कि अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन ने स्वयं के रूपांतर संस्था में कार्य करने के तथ्य को दौरान अभियुक्त परीक्षण स्वीकार किया है। इस साक्षी के अग्रिम कथनानुसार वह शंकर सिंह, अमिता श्रीवास्तव, मदन बरकड़े तथा बोपन्ना को जानता है। ये सभी हार्डकोर नक्सली हैं। शंकर सिंह 'रूपांतर संस्था' में काम करता था। अमिता श्रीवास्तव 'डागा स्कूल' तथा सरस्वती शिशु मंदिर, डंगनिया में शिक्षिका के पद पर कार्य करती थी। मदन बरकड़े, बालाघाट जेल में हैं तथा बोपन्ना रायपुर केन्द्रीय जेल में है, शंकर सिंह तथा अमिता श्रीवास्तव जब से अभियुक्त नारायण सान्याल को दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है, तब से आज तक

फरार है। इस साक्षी के अनुसार प्रदर्श पी089 में ब से ब भाग पर शंकर सिंह तथा प्रदर्श पी061 में फ से फ भाग पर अमिता श्रीवास्तव की फोटो लगी है। वह सोमा सेन को भी जानता है, सोमा सेन हार्डकोर नक्सली तुषारकांत भट्टाचार्य, जो थाना बुध्दाजी नगर पटना में गिरफ्तार किया गया है, की पत्नी है। शंकर सिंह, अमिता श्रीवास्तव, मदन बरकड़े, बोपन्ना तथा सोमा सेन का हाजिर अदालत अभियुक्तगण से संबंध है और उनके नाम अभियुक्त विनायक सेन से जप्त सी0पी0यू0 के डी0वी0डी0 के प्रिंट–आऊट में है।

92. आर्टिकल ए–1 के प्रभात पत्रिका जो अभियुक्त पियूष गूहा से जप्त हुये हैं, में मुद्रक, प्रकाशक के नाम व पते अंकित नहीं है, अभियोजन के व्दारा इसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी) की पत्रिका होना कहा गया है, जिसमें " कोया भुमकाल मिलिशिया" आदि उल्लेखित हैं जिसमें सलवा जुडुम के बारे में विरोध दर्शित किया गया है एवं पी0एल0जी0ए0 की सराहना की गयी है तथा मारे गये माओवादी कामरेड को श्रध्दांजलि दी गयी है। उक्त पत्रिका में अभियुक्त नारायण सान्याल को पार्टी की पोलित ब्यूरो का सदस्य बताया गया है और उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रिहाई की मांग की गयी है तथा मुठभेड़ में मारे गये व्यक्तियों (कामरेड) को शहीद बता कर उन्हें आदर्श बताया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल ए–2 भाकपा(माले) पिपुल्स वार दण्डकारण्य का क्रांतिकारी अभिनंदन पत्रिका है, इसमें भी प्रकाशक तथा मुद्रक के नाम–पते अंकित नहीं है। उक्त पत्रिका में 'जनताना सरकार' की स्थापना का मार्ग जन छापामार सेनाओं के लाल योध्दाओं और बहादुर कमाण्डरों के व्दारा प्रशस्त कर आह्वान करने संबंधी लेख है। साथ ही दण्डकारण्य क्षेत्र को हमारा दण्डकारण्य घोषित कर उसे मुक्त इलाका में बदलने के लक्ष्य से जनयुध्द करने का उल्लेख है। उक्त पत्रिका में "पिपुल्स गुरिल्ला आर्मी ने सी.आर.पी. बलों की नींद उड़ा

दी", उल्लेखित है तथा मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडु पर हमला की जिम्मेदारी स्वीकारी गयी है।

93. आर्टिकल ए–3 पिपुल्स मार्च पत्रिका, जिसे व्हाईस आफ इण्डियन रिवोल्यूशन भी बताया गया है, में स्टील, एल्युमिनियम एवं माईनिंग के उद्योग, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखण्ड में प्रस्तावित है, का विरोध किया गया है और प्रशासन पुलिस, न्यायालय सभी को इन उद्योगों की निजी सेना के रूप में काम करने वाला बताया गया है। उक्त पत्रिका में पी0एल0जी0ए0 अथवा पी0एल0ए0 की सराहना तथा सलवा जुडुम का विरोध किया गया है। कामरेड मैना का इंटरव्यू तथा महिलाओं की पी0एल0ए0 अथवा पी0एल0जी0ए0 पर भर्ती पर जोर दिया गया है। उक्त पत्रिका में अभियुक्त नारायण सान्याल को 'कामरेड नारायण सान्याल उर्फ कामरेड विजय उर्फ कामरेड प्रसाद' के नाम से संबोधित कर उसे सीपीआई (माओवादी) की उच्चतम संस्था पोलित ब्यूरो का सदस्य बताया गया है और उसे सन् 1970 से माओवादियों द्वारा चलाये गये आंदोलन का अग्रपंक्ति का नेता बताया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल ए–4 तथा ए–5 के बंगला अखबार में नक्सलियों से संबंधित चित्र एवं खबर छपे होने का कथन अभियोजन द्वारा किया गया है।

94. आर्टिकल ए–8 का पत्र 'डियर पी' तथा आर्टिकल ए–9 का पत्र 'डियर फ्रेन्ड दी' को संबोधित है। आर्टिकल ए–8 में नदी कांग्रेस की सफलता पर खुशी का इजहार किया गया है और आंदोलन तथा हमारे संगठन में संगठित व असंगठित कामगारों को जोड़ने की बात कही गयी है। साथ ही हत्याओं को प्रतिक्रियावादी होना एवं पाजिटिव पॉलिटिकल कोर्स के निर्माण पर जोर दिया गया है। इंटरनेशनल आर्गेनाईजेशनल पेनीट्रेशन योजना के उल्लेख के साथ नेपाल में माओवादियों द्वारा सीधे पार्लियामेंट पहुंचने की बात कही गयी है तथा किसी 'एम0आर0' नामक व्यक्ति को कुछ रकम भेजने के बारे में भी

लेख है। आर्टिकल ए–9 में 'वी' को संबोधित कर उक्त पत्र में जेल कामरेड को मदद न करने का आरोप लगाया गया है और उसने "But it is not good" लिखा है। साथ ही संवादहीनता 'वी' के क्षेत्र में बड़े संपर्क की बड़ी संभावना और वादापूर्ति करने संबंधी शब्दों का उल्लेख किया गया है।

95. आर्टिकल ए–19 से आर्टिकल ए–37 के पत्र–पत्रिकाएं अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन से जप्त हुए हैं। आर्टिकल ए–19 की पीपुल्स मार्च पत्रिका में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के गठन के अवसर पर उसके दो महासचिव गनपति तथा किशन के संयुक्त साक्षात्कार प्रकाशित किये गये हैं जिसके तहत गनपति को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी गठन को एक नया मील का पत्थर बताया गया है और दीर्घकालीन जनयुध्द से मौजूदा व्यवस्था ध्वस्त करने का आव्हान किया गया है। आर्टिकल ए–20 का पत्र में अभियुक्त विनायक सेन को कामरेड संबोधित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आर्टिकल ए–20 का पत्र अभियुक्त नारायण सान्याल ने रायपुर जेल में निरूध्द रहने के दरम्यान अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन को लिखा था। आर्टिकल ए–21 में आंध्रप्रदेश में महिला अधिकार और नक्सलाईट ग्रुप के शीर्षक से एक मुद्रित लेख है। आर्टिकल ए–22, टूवार्डस बिल्डिंग एन एंटी – एलआईएस. इपेंरीलिस्ट फ्रंट हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, जिसमें मार्क्सवादी और लेनिनवादी गुटों का उल्लेख है। इसी प्रकार आर्टिकल ए–23 का दस्तावेज कांतिकारी जनवादी मोर्चा रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट व्दारा जारी किया गया है और इसमें शीर्षक 'वैश्वीकरण एवं भारतीय सेना क्षेत्र की चकाचौंध' है। आर्टिकल ए–25 से आर्टिकल ए–35 पेपर कटिंग्स हैं जिनमें नक्सलियों गतिविधियों से संबंधित समाचार छपे हैं। आर्टिकल ए–36 सलवा जुडुम पुस्तक है, जिसमें सलवा जुडुम को जनता का स्वतःस्फूर्त आंदोलन निरूपित नहीं किया गया है तथा राहत शिविरों को बंदी शिविर बताया गया है। 'एस0पी0ओ0' को 'आदिवासी युवाओं का

अपराधीकरण' कहा गया है। साथ ही पी0एल0जे0 के हमले में सी0आर0पी0एफ0 के जवानों तथा एस0पी0ओ0 को मार डालना बताया गया है। इसी प्रकार उक्त पुस्तक में जनताना सरकार की प्रशंसा तथा छत्तीसगढ़ पी0यू0सी0एल0 पर सलवा जुडुम द्वारा संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित है, जिसमें सलवा जुडुम की निंदा की गयी है। साथ ही छत्तीसगढ़ के माओवादियों पर सलवा जुडुम द्वारा की गयी बर्बरता का विरोध करने संबंधी लेख है।

96. इसी प्रकार आर्टिकल ए–37 का पत्र, जो कि अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन के मकान से जप्त किया गया है, जिसमें उक्त पत्र छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी सीपीआई(माओवादी) द्वारा अभियुक्त विनायक सेन को भेजना दर्शित है, में सलवा जुडुम तथा माओवादी भीमकोड़ा तथा श्याम बिहारी की हत्या की निंदा की गयी है और पी0डब्ल्यू0 व एम0सी0सी0आई0 के कार्यकर्ताओं को मारना, उल्लेखित है। आर्टिकल ए–38 से ए–45, जो कि अभियुक्त विनायक सेन के मकान से जप्तशुदा सी0डी0 है तथा जिसका प्रिंट आऊट प्र0पी0–368 से प्रदर्श पी0 393 है व जिनकी संक्षिप्त विवरणिका प्रदर्श पी0394 है, में बुक नंबर–1, पेज नंबर–1/161 में अभियुक्त विनायक सेन तथा उसकी पत्नी एलिना सेन को किसी अपूर्णानंद ने "रेसिसटेंट कान्फ्रेंस" में आने का निमंत्रण दिये जाने का उल्लेख है तथा पृष्ठ कमांक–1/179 में 'आदिवासी क्षेत्र में सी0आर0पी0एफ0 के आतंक पर रिपोर्ट' के रूप है, जिसमें अभियुक्त विनायक सेन को पी0यू0सी0एल0 का सचिव होना उल्लेखित है। इसी प्रकार बुक नंबर–2 में विभिन्न पृष्ठों में रूपांतर संस्था के बारे में उल्लेख है तथा अन्य कई लेखों का वर्णन है। इसी प्रकार पृष्ठ कमांक–4/131 से 4/141 में अभियुक्त विनायक सेन की पत्नी एलिना सेन को सी0एल0एस0एल0 का आजन्म सदस्य होना, बताया गया है तथा बचाव साक्षी अजय टी0जी0 और हार्डकोर नक्सली शंकर को उसका सदस्य बताया गया है। इसी प्रकार पृष्ठ कमांक 4/427 और 4/441 में अभियुक्त विनायक सेन स्वयं को

पी0यू0सी0एल0 का जनरल सेकेटरी होना दर्शाया है तथा पृष्ठ कमांक 441 में सी0एल0एस0एस0 का जनरल सेकेटरी होना दर्शाया गया है व पीपुल्स वॉर ग्रुप (पी0डब्ल्यू0जी0) व्दारा सब इंसपेक्टर प्रकाश सोनी के अपहरण की बात कही गयी है तथा पृष्ठ 7/312 से 7/314 में दिनांक 7–8 जनवरी 2004 को वर्क्सशॉप होने का उल्लेख है जिसमें अभियुक्त विनायक सेन की पत्नी ऐलिना सेन तथा शंकर (जो कि एक हार्डकोर नक्सली है और वर्तमान में फरार है) की उपस्थिति बतायी गयी है। इसी प्रकार उक्त दस्तावेज में अभियुक्त विनायक सेन का रूपांतर संस्था के लिये ग्रान्ट एवं रूपांतर संस्था से आहरित राशि का उल्लेख है तथा नक्सलियों को संबोधित शब्द 'कामरेड' का उल्लेख है।

97. आर्टिकल ए–46 से आर्टिकल ए–128 की डी0वी0डी0 के प्रिंट आऊट जो 58 बुक्स, आर्टिकल ए–70 से आर्टिकल ए–127 के रूप में हैं, जिसकी समरी आर्टिकल आर्टिकल ए–128 के पृष्ठ कमांक 1/117 में दर्शाये अनुसार पाकिस्तान के ओमार अजगर खान की मृत्यु का संदेश है तथा पृष्ठ कमांक 265 में मंहेर अराक के बारे में लिखा है। इसी प्रकार पृष्ठ कमांक –223 में मार्क्सवादी समन्वय समिति जम्मू –कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासिन मलिक व गुलाम रसूलघर के नाम का उल्लेख है तथा पृष्ठ कमांक 6/45 से 6/49 में रूपान्तर में देय मानदेय व अन्य खर्च के बारे में उल्लेख है, जिसमें मालती (जिसे अभियोजन व्दारा हार्डकोर नक्सली होना बतलाया गया है) एवं प्रफुल्ल झा आदि के नाम तथा राशि का भी उल्लेख है। इसी प्रकार पृष्ठ 7/348 में हार्डकोर नक्सली अमिता श्रीवास्तव, जिसे अभियोजन व्दारा फरार बताया गया है, के नाम का उल्लेख है तथा पृष्ठ कमांक 25/139 से 146 में शंकर सिंह, जिसे भी अभियोजन व्दारा हार्डकोर नक्सली होना कहा गया है, को रूपांतर संस्था का कर्मचारी होना दर्शाया गया है।

98. अभियुक्त पीजूष गूहा के विव्दान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त पिजूष गूहा तेंदूपत्ता का व्यापारी है और वह अपने व्यापार के सिलसिले में रायपुर आते–जाते रहता है। दिनांक 01.05.2010 को भी वह अपने व्यापार के सिलसिले में रायपुर आया था और होटल महिन्द्रा में ठहरा था, किन्तु पुलिस वाले उसे जबर्दस्ती होटल महिन्द्रा से उठा कर ले गये थे तथा दिनांक 06.05.2007 तक अवैध रूप से अभियुक्त पिजूष गूहा की आंख मे पट्टी बांध कर रखे थे और दिनांक 06.05.2007 को उसके विरूध्द फर्जी कार्यवाही कर उसे अपराध में संलिप्त किया गया है। यह भी तर्क है कि अभियुक्त पीजूष गूहा से कोई पत्र–पत्रिकाएं, मोबाईल जप्त नहीं की गयी है तथा पुलिस व्दारा की गयी संपूर्ण कार्यवाही अवैधानिक एवं अनियमित है और गवाहों के बयान में भी गंभीरतम विरोधाभाष है। यह भी तर्क है कि अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त पिजूष गूहा को स्टेशन रोड गंज में गिरफ्तार किया जाना बताया गया है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय में विवेचक बी0बी0एस0 राजपूत व्दारा दिये गये जवाब–प्रतिवेदन में अभियुक्त पीजूष गूहा को होटल महिन्द्रा मे गिरफ्तार किया जाना दर्शाया गया है। यह भी तर्क है कि अभियुक्त पिजूष गूहा अन्य अभियुक्तों को नहीं जानता और न ही उनसे उसकी कोई सांठगांठ है, अतः अभियुक्त पिजूष गूहा को दोषमुक्त किया जावे। अभियुक्त पिजूष गूहा की ओर से तर्क के समर्थन में माननीय न्यायदृष्टांत राजस्थान राज्य विरूध्द गुरमेल सिंग, 2005, कि0ला0ज0–1746, घनश्याम विरूध्द म0प्र0 राज्य, 2005, कि0ला0ज0(एम0पी0)–655, शमशेर सिंह एवं अन्य विरूध्द राजस्थान राज्य, 2006, कि0ला0ज0–एनओसी–12(राज0), गोपाल विरूध्द म0प्र0 राज्य, 2003(1) विधि भास्वर– 214, किशोर विरूध्द म0प्र0 राज्य, 1997(2) काईम्स–81, बहादुर सिंह विरूध्द म0प्र0 राज्य एवं अन्य, 2002(1) काईम्स–222(सु0को0), 2004(2) एम0पी0जे0 आर0–119, राजेश जगदंबा अवस्थी विरूध्द गोवा राज्य, ए0आई0आर0 2005 सु0को0–1389, जावेद मसुद एवं अन्य विरूध्द राजस्थान राज्य, 2010 कि0ला0ज0–2020(सु0को0), अजब सिंह विरूध्द म0प्र0राज्य,

1998(2) एम0पी0वीकली नोट, नोट नंबर–25 और म0प्र0 राज्य विरूध्द एम0पी0वीकली नोट, नोट नंबर–26 प्रस्तुत किये गये हैं।

99. इसी प्रकार अभियुक्त नारायण सान्याल के विव्दान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह बताया है कि वस्तु ए–8, ए–9 एवं ए–10 के पत्र पुलिस व प्रशासन व्दारा जेल अधिकारियों के माध्यम से अभियुक्त नारायण सान्याल को डरा धमका कर एवं दबाव डाल कर लिखवाया गया है किन्तु वह किसी भी नक्सली एवं आतंकवादी संगठन से संबंध नहीं रखता है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क है कि अभियुक्त नारायण सान्याल अन्य अभियुक्तों को नहीं जानता और न ही उनसे उसकी कोई सांठगांठ है। यह भी तर्क है कि गवाहों के बयान में भी गंभीर विरोधाभाष है तथा साक्षी निरीक्षक बी0एस0जागृत इस प्रकरण में अभियोगी है और उसी के व्दारा संपूर्ण अनुसंधान की कार्यवाही की गयी है जिससे अभियोजन की कार्यवाही दूषित हो जाती है। अतः अभियुक्त नारायण सान्याल को दोषमुक्त किया जावे। अभियुक्त नारायण सान्याल की ओर से तर्क के समर्थन में माननीय न्यायदृष्टांत मेघा सिंह विरूध्द हरियाणा राज्य, ए0आई0आर0 1995 सु0को0 2339, लक्ष्मण विरूध्द म0प्र0राज्य 1997(2) एम0पी0 वीकली नोट–222, चार्ल्स विक्टर विरूध्द म0प्र0 राज्य 2000(1) एम0पी0वीकली नोट–160, महेन्द्र सिंह विरूध्द म0प्र0 राज्य 2008(1) एम0पी0वीकली नोट–61, तुलसी दास भानु दास कांबले एवं अन्य विरूध्द महाराष्ट्र राज्य 1999(3) क्राईम्स 161 प्रस्तुत किया गया है।

100. परन्तु अभियुक्त पिजूष गूहा एवं अभियुक्त नारायण सान्याल व्दारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क मान्य योग्य नहीं हैं, क्योंकि ऊपर साक्ष्य विवेचन में अभियुक्त पिजूष गूहा से आर्टिकल ए–1 से लेकर ए–10 तक की वस्तुओं की जप्ती तथा रायपुर में समय–समय पर विभिन्न होटलों में उसके रूकने और उसे नक्सली व आपराधिक

गतिविधियों में संलिप्त रहने तथा अभियुक्त नारायण सान्याल व्दारा आर्टिकल ए–8 से ए–10 का पत्र उसकी स्वयं की हस्तलिपि में लिखे जाने व अभियुक्तगण का परस्पर एक–दूसरे से संबंधित होने का तथ्य स्थापित है, जिसे इस स्तर पर दुहराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त नारायण सान्याल व्दारा लिखित पत्र आर्टिकल ए–8 से आर्टिकल ए–10 अभियुक्त पिजूष गूहा के पास कहां से आये, उसे अभियुक्त पिजूष गूहा व्दारा स्पष्टीकृत नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन मामले को ही बल मिलता है। जहां तक अभियुक्त पिजूष गूहा को पुलिस व्दारा दिनांक 01.05.2007 को महिन्द्रा होटल जबरन उठा कर ले जाने एवं अवैध रूप से उसकी आंख में पट्टी बांध कर दिनांक 06.05.2007 तक रखे जाने का प्रश्न है, इस संबंध में इस प्रकरण में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा उक्त तथ्यों को अभियुक्त पिजूष व्दारा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करके सबूत नहीं किया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त पिजूष गूहा की गिरफ्तारी के स्थान में अंतर होने के संबंध में विवेचक बी0एस0राजपूत (अ0सा087) ने यह बताया है कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रदर्श डी042 का जवाब दिया था, जिसमें अभियुक्त पिजूष गूहा को महिन्द्रा होटल में गिरफ्तार किये जाने का उल्लेख है, किन्तु वह त्रुटिवश टंकित हुआ है, उसने जवाब डिक्टेट कराते समय यह बताया था कि अभियुक्त पिजूष गूहा को स्टेशन रोड में दिनांक 06.05.2007 को गिरफ्तार किया गया था, परंतु टायपिंग त्रुटिवश उक्त दिनांक 06.05.2007 के स्थान पर दिनांक 06.05.2005 लिखा गया है तथा उसकी गिरफ्तारी का स्थान ऊपर दर्शाये अनुसार लिखने वाले की त्रुटि के कारण त्रुटिपूर्ण लिखा गया है, जो स्वाभाविक प्रतीत होता है। अतः उक्तानुसार तर्क का लाभ पिजूष गूहा को नहीं मिलता है। अभियुक्त पिजूष गूहा व्दारा प्रस्तुत उपरोक्तानुसार न्यायदृष्टांत माननीय न्यायदृष्टांत राजस्थान राज्य विरूध्द गुरमेल सिंग, 2005, कि0ला0ज0–1746, घनश्याम विरूध्द म0प्र0 राज्य, 2005, कि0ला0ज0(एम0पी0)–855, शमशेर सिंह एवं अन्य विरूध्द राजस्थान राज्य, 2006, कि0ला0ज0–एनओसी–12(राज0), गोपाल विरूध्द म0प्र0

राज्य, 2003(1) विधि भास्वर– 214, किशोर विरूध्द म0प्र0 राज्य, 1997(2) क्राईम्स–81, बहादुर सिंह विरूध्द म0प्र0 राज्य एवं अन्य, 2002(1) क्राईम्स–222(सु0को0), 2004(2) एम0पी0जे0 आर0–119, राजेश जगदंबा अवस्थी विरूध्द गोवा राज्य, ए0आई0आर0 2005 सु0को0–1389, जावेद मसूद एवं अन्य विरूध्द राजस्थान राज्य, 2010 कि0ला0ज0–2020(सु0को0), अजब सिंह विरूध्द म0प्र0राज्य, 1998(2) एम0पी0वीकली नोट, नोट नंबर–25 और म0प्र0 राज्य विरूध्द एम0पी0वीकली नोट, नोट नंबर–28 के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से इनका लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है।

101. जहां तक अभियुक्त नारायण सान्याल के विव्दान अधिवक्ता का यह तर्क कि पुलिस व प्रशासन व्दारा दबाव डालकर उससे आर्टिकल ए–8 से ए–10 उससे जबर्दस्ती लिखवाया गया है, भी स्वीकारयोग्य नहीं है क्योंकि तत्संबंध में प्रकरण में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न ही अभियुक्त नारायण सान्याल के व्दारा तत्संबंध में कोई युक्तिसंगत साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है। निरीक्षक बी0एस0जागृत के अभियोगी एवं अनुसंधान अधिकारी होने संबंधी अभियुक्त नारायण सान्याल का तर्क भी स्वीकारयोग्य नहीं है क्योंकि बी0एस0जागृत (अ0सा095) ने स्पष्ट कथन किया है कि वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर से प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने की अनुमति मिलने के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.05.2007 को दर्ज किया था, तत्पश्चात् बी0बी0एस0राजपूत को प्रकरण का विवेचना अधिकारी नियुक्त कर दिये जाने के उपरांत को प्रकरण की केस डायरी वह बी0बी0एस0राजपूत को दिनांक 07.05.2007 सौंप दिया था। उक्त कथन का समर्थन बी0बी0एस0राजपूत करते हुये बताया है कि दिनांक 07.05.2007 को बी0एस0जागृत से प्रकरण की केस डायरी प्राप्त होने के उपरांत उसने प्रकरण की विवेचना की है तथा उसके निर्देशन में बी0एस0जागृत ने अनुसंधान कार्यवाही की लिखापढ़ी की है। अतः उक्तानुसार तर्क का लाभ अभियुक्त नारायण सान्याल को नहीं मिलता

है। अभियुक्त नारायण सान्याल द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत मेघा सिंह विरूध्द हरियाणा राज्य, ए0आई0आर0 1995 सु0को0 2339, लक्ष्मण विरूध्द म0प्र0राज्य 1997(2) एम0पी0 वीकली नोट–222, चार्ल्स विक्टर विरूध्द म0प्र0 राज्य 2000(1) एम0पी0वीकली नोट–180, महेन्द्र सिंह विरूध्द म0प्र0 राज्य 2006(1) एम0पी0वीकली नोट–61, तुलसी दास भानु दास कांबले एवं अन्य विरूध्द महाराष्ट्र राज्य 1999(3) क्राईम्स 161 के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से इनका लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है।

102. अभियुक्त विनायक सेन के विव्दान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त विनायक सेन को दिनांक 14.05.2007 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उक्त दिनांक को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को "विधि–विरूध्द संगठन घोषित" नहीं किया गया था और उसे सन् 2009 में विधि–विरूध्द संगठन घोषित किया गया है, अतः उसके विरूध्द छ0ग0 विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(1), 8(2), 8(3) एवं 8(6) का अपराध गठित नहीं होता है, परंतु उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं है क्योंकि ऊपर यह प्रमाणित पाया गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) एवं उसके अन्य सहयोगी संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2007 को अधिसूचना द्वारा एक वर्ष के लिये विधि–विरूध्द संगठन घोषित कर दिया गया है, जिसका प्रकाशन अधिसूचना–क. एफ–4–101/गृह–सी/07 दिनांक 12–4–2007, छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में किया गया है जिसे बाद में अधिसूचना–क. एफ–4–101/गृह–सी/07 दिनांक 11–4–2008 के लिये अर्थात् एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया है।

103. अभियुक्त विनायक सेन के विव्दान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विधि–विरूध्द क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–10ए, 20, 21, 38 एवं 39 के तहत अभियुक्त के विरूध्द

अपराध नहीं बनता है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(ङ) तथा धारा 35 के दर्शित अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (माओवादी) को सन् 2009 में जोड़ा गया है। उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं है क्योंकि विधि–विरूध्द क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की अनुसूची के कमांक –24 पर कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्सिस्ट–लेलिनिस्ट)–पीपुल्स वार, इसके सभी रूप और अग्रणी संगठन को सन् 2008 के पूर्व ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है और सन् 2009 में उक्त अनुसूची में अधिनियम संख्या–35 सन् 2008, दिनांक 31 दिसंबर, 2008 व्दारा मात्र कमांक 33 पर "संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 के अधीन किये गये एवं समय–समय पर किये गये संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद का निवारण एवं दमन (सुरक्षा परिषद संकल्पों का पालन) आदेश, 2007 में सूचीबध्द संगठन" को अंतःस्थापित किया गया है। अतः उक्त तर्क का लाभ अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन को नहीं मिलता है।

104. अभियुक्तगण के विध्दान अधिवक्तागण की ओर से दौरान तर्क अभियोजन व्दारा परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य पत्रक की एक–एक पंक्ति को पढ़–पढ़ कर उनके कथनों को परस्पर विरोधाभासी होना बतलाते हुये अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने बाबत् अत्यंत विस्तृत तर्क किया गया है. यद्यपि अभियोजन साक्षियों के कथनों में कतिपय विलुप्तियां एवं विरोधाभाष अवश्य आये हैं, परन्तु वे तात्विक प्रकृति की नहीं हैं और न ही उनसे अभियोजन के संपूर्ण प्रकरण को संदेहास्पद मान कर त्यक्त किया जा सकता है और न ही उनके आधार पर अभियोजन साक्षियों के कथनों को अविश्वसनीय माना जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षियों को उनके साक्ष्य अंकन के दौरान उक्त विरोधाभाष के संबंध में विशिष्ट प्रश्न पूछ कर उनका सामना विवेचक से नहीं कराया गया है, जिससे उक्त तर्क का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है। तत्संबंध में अभियुक्तगण

की ओर से प्रस्तुत माननीय न्यायदृष्टांत मुगदोमल गंगा राम एवं अन्य वि0 गुजरात राज्य, ए0आई0आर0 1980 सु0को0 873, राजेन्द्र सिंह विरूध्द उ0प्र0राज्य एवं अन्य, (2007)7 एससीसी–378 तथा धन्ना वगैरह विरूध्द म0प्र0राज्य, ए0आई0आर0, 1996 सु0को0 2478 के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

105. अभियुक्त विनायक सेन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अंतिम प्रतिवेदन और जप्ती पत्रों में आर्टिकल ए–37 का उल्लेख नहीं है तथा धारा 207 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत दी गयी चालान की प्रति में आर्टिकल ए–37 में अभियुक्त विनायक सेन के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः उक्त दस्तावेज अभियुक्त को मामले में मिथ्या संलिप्त करने के लिये पुलिस के व्दारा निर्मित किया गया है।

106. इस संबंध में अभियुक्त विनायक सेन की ओर बचाव साक्षी अमित बेजर्नी(ब0सा05) एवं महेश महोबे (ब0सा09) के कथन कराये गये हैं। साक्षी अमित बेनर्जी (ब0सा05) के कथनानसनुसार दिनांक 02.08.2007 को अभियुक्तगण के विरूध्द मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रायपुर के न्यायालय में चालान पेश किया गया था जिसमें उन्होंने अभियुक्त पियूष गूहा की ओर से न्यायालय से चालान की प्रति प्राप्त किया था तथा अभियुक्त विनायक सेन स्वयं चालान की प्रति प्राप्त किया था जिसे उसने देखा था। प्रदर्श डी053 के चालान की प्रति वही प्रति है, जिसे उसने प्राप्त किया था।

107. बचाव साक्षी क्रमांक–9 महेश महोबे के कथनानुसार उसने सूर्या अपार्टमेंट, कटोरा तालाब स्थित विनायक सेन के मकान में पुलिस सर्चिन्ग कार्यवाही की विडियोग्राफी किया था। उसने आगे बताया है कि जप्तशुदा सी0डी0कैसेट एवं दस्तावेज पुलिस वाले कागज के थैले में खुले हालत् में ले गये थे। इस संबंध में बी0एस0जागृत (अ0सा095) एवं बी0बी0एस0राजपूत (अ0सा097) ने अपने प्रतिपरीक्षण के

दौरान यह कथन किया है कि, हो सकता है कि आर्टिकल ए–37 किसी और आर्टिकल से चिपक जाने के कारण उसमें अभियुक्त विनायक सेन एवं विवेचक के हस्ताक्षर नहीं हो पाये हों"। अभियुक्त विनायक सेन की ओर से साक्षी बी0एस0जामृत को यह सुझाव दिये जाने पर कि आर्टिकल ए–19 से लेकर ए–37 को जप्ती करने के बाद थाना गंज में मालखाने में रखा गया था, जिस पर इस साक्षी ने उक्त सुझाव को सही होना स्वीकार किया है, जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त विनायक सेन की ओर से उक्त आर्टिकल ए–19 लगायत ए–37 के दस्तावेज को अपने घर से जप्त होना स्वीकार किया गया है। प्रतिपरीक्षण में आगे इसी साक्षी ने कथन किया है कि उक्त जप्तशुदा वस्तुओं को सीलबंद हालत में न्यायालय में पेश किया गया था और विचारण के दौरान लिफाफा खुलने पर अभियुक्तों की मांग पर आर्टिकल ए–37 की प्रतिलिपि न्यायालय में प्रदान की गयी थी, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त विनायक सेन के मकान से आर्टिकल ए–19 से लेकर आर्टिकल ए–37 की वस्तुएं जप्त की जाकर सीलबंद कर न्यायालय में पेश किया गया था तथा न्यायालय में सील खोलकर अभियुक्तगण को प्रति प्रदान की गयी थी। यदि उक्त प्रतिलिपि में कुछ कमी थी तो अभियुक्तगण को तत्क्षण न्यायालय को सूचित करना चाहिये था, किन्तु बचाव साक्षी कमांक–5 अमित बेनर्जी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि मूल चालान के अनुरूप प्रतिलिपि प्राप्त नहीं होने के संबंध में न्यायालय में आवेदन पत्र नहीं दिया गया था।

108. यहां यह उल्लेख किया जाना अत्यंत समीचीन होगा कि दिनांक 02.08.2007 को अभियुक्त विनायक सेन ने स्वयं न्यायालय में चालान की प्रति प्राप्त किया था, किंतु उसके ब्दारा मूल चालान के अनुरूप प्रतिलिपि प्राप्त नहीं होने के संबंध में कोई आपत्ति विचारण के दौरान नहीं की गयी है, अतः अभियुक्त विनायक सेन को उपरोक्त तर्क का कोई लाभ नहीं मिलता है।

109. अभियुक्त विनायक सेन की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि वह "रूपांतर संस्था" से जुड़ा है तथा पीयूसीएल का महासचिव होने के नाते समय–समय पर पुलिस व्दारा किये गये अत्याचारों के संबंध में आवाज उठाता रहा है जिससे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के व्दारा उसे देख लेने की धमकी दी गयी थी, परिणामस्वरूप उसके विरूध्द यह झूठा प्रकरण बनाया गया है। इस संबंध में अभियुक्त विनायक सेन के की ओर से बचाव साक्षी समन्वयक रूपांतर संस्था प्रहलाद साहू (ब0सा01), पत्रकार देशबंधु दैनिक समाचार पत्र शशांक शर्मा (ब0सा02), रिपोर्टर नवभारत दैनिक समाचार पत्र अजीत परमार (ब0सा03), प्रबंध संपादक दैनिक छत्तीसगढ़ अनिल झा (ब0सा04), प्रभाकर सिन्हा (ब0सा06), संपादक हितवाद दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र ई0वी0भुरली (ब0सा07), उपसंपादक हरिभूमि सुकांत राजपूत (ब0सा08), अजय टी0जी0 (ब0सा010) एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट मोहम्मद आरिफ (ब0सा011) के कथन कराये गये हैं।

110. बचाव साक्षी शशांक शर्मा (ब0सा02) के कथनानुसार वह देशबंधु दैनिक अखबार, रायपुर में संपादक है। दिनांक 13 जून 2005 के दैनिक देशबंधु समाचार पत्र में "पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने ग्रामीणों को घर में घुस कर पीटा तथा पीयूसीएल की जांच टीम ने दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की" के संबंध में समाचार प्रकाशित हुआ था, जो कि प्रदर्श डी046 है। इस साक्षी के अनुसार दिनांक 31 दिसंबर 2005 को उनके समाचार पत्र में 'नक्सली नेता अचानक गायब, संगठनों की चिंता बढ़ी" शीर्षक से समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था जो कि प्रदर्श डी047 है। इसी प्रकार अजीत परमार (ब0सा03) ने स्वयं को नवभारत प्रेस में संपादक के पद पर पदस्थ रहना कथन करते हुये यह बताया है कि दिनांक 13 जून 2005 के उनके नवभारत समाचार पत्र में "कटगांव के निर्दोष आदिवासियों पर सुरक्षा जवानों का कहर", दिनांक 3 जनवरी 2006 के समाचार पत्र में "नक्सली समर्थक संगठनों पर कार्यवाही शीघ्र, डीजीपी" तथा दिनांक

25 जून 2006 के समाचार पत्र में "रोलेट एक्ट की याद दिलाता है, जनसुरक्षा कानून" शीर्षक से समाचार छपा था, जो कमशः प्रदर्श डी048 लगायत प्रदर्श पी050 है। इसी प्रकार अनिल झा (ब0सा04) ने उनके दैनिक छत्तीसगढ़ समाचार पत्र दिनांक 30 मार्च 2006 को "जनसरक्षा कानून सरकार की मनमानी चलाने का तरीका है", दिनांक 16 फरवरी 2007 को "एक कैदी की चिट्ठी" शीर्षक से जिसके नीचे मदन लाल बरकड़े सीपीआई माओवादी केन्द्रीय जेल रायपुर, लिखा है" शीर्षक से समाचार प्रकाशित होना कथन किया है, जो प्रदर्श डी051 एवं प्रदर्श डी052 है। इसी प्रकार बचाव साक्षी सुकांत राजपूत (ब0सा08) ने अपने हरिभूमि समाचार पत्र में दिनांक 03 जनवरी 2006 को "नक्सली समर्थकों के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी एवं नक्सली नेता विजय को आंध्र पुलिस ले गयी" शीर्षक से समाचार प्रकाशित होना बताया है जो प्रदर्श डी056 है। परन्तु बचाव साक्षी शशांक शर्मा, अजीत परमार और अनिल झा तथा सुकांत राजपूत सभी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं को संवाददाता नहीं होने तथा उक्तानुसार समाचार उनके स्वयं के व्दारा प्रेस में छपने हेतु नहीं दिया जाना स्वीकार किया है, अतः इन साक्षियों के कथनों का कोई लाभ अभियुक्त विनायक सेन को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इन बचाव साक्षियों के कथनों से अभियोजन कहानी को ही बल मिलता है। अतएव् अभियुक्त विनायक सेन का उक्तानुसार तर्क स्वीकार किये जाने योग्य है।

111. बचाव साक्षी प्रहलाद साहू (ब0सा01) के कथनानुसार वह रूपांतर संस्था, रायपुर में समन्वयक के पद पर पदस्थ है। रूपांतर संस्था की निर्देशक ऐलिना सेन है। रूपांतर संस्था पंजीकृत संस्था है जिसकी लेखा–जोखा की जांच होती है। वित्तीय वर्ष 2007–2008 से लेकर वर्ष 2009–2010 का रूपांतर संस्था का अंकेक्षित एकाऊंट प्रदर्श पी043 से प्रदर्श पी045 है। प्रदर्श पी043 से प्रदर्श पी045 के आडिट रिपोर्ट को बचाव साक्षी कमांक–11 मोहम्मद आरिफ व्दारा स्वयं के व्दारा आडिट करने का कथन किया गया है तथा इन पर अपने

हस्ताक्षर होना बतलाया गया है। परन्तु यहां यह अत्यंत ध्यान देने योग्य बात यह है कि घटना दिनांक 08.05.2007 की है और अभियुक्त विनायक सेन की ओर से इसके पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2006–2007 का रूपांतर संस्था की कोई आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके अलावा बचाव साक्षी प्रहलाद साहू तथा मोहम्मद आरिफ ने यद्यपि रूपांतर संस्था को एक पंजीकृत संस्था होना, कथन किया है, परन्तु "रूपांतर संस्था" के पंजीकृत संस्था होने बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार बचाव साक्षी प्रभाकर सिन्हा (ब0सा06) ने अपने प्रतिपरीक्षण में पीयूसीएल एवं छत्तीसगढ़ लोक स्वातंत्र्य संगठन" को रजिस्टर्ड संस्था नहीं होना स्वीकार किया है, अतः प्रदर्श डी043 लगायत प्रदर्श डी045 के आडिट रिपोर्ट के आधार "रूपांतर संस्था एवं पीयूसीएल एवं छत्तीसगढ़ लोक स्वातंत्र्य संगठन" शासन व्दारा पंजीकृत संस्था होना प्रतीत नहीं होता है तथा ऊपर विवेचना में यह पाया गया है कि नक्सली शंकर सिंह, मालती वगैरह रूपांतर संस्था में कार्य करते थे, जिसका निर्देशक अभियुक्त विनायक सेन की पत्नी एलिना सेन है तथा उक्त संस्था में कार्यरत रह कर अभियुक्त विनायक सेन व्दारा पांच हजार पांच सौ रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना स्वीकार किया गया है, जिससे भी अभियुक्त विनायक सेन का नक्सली गतिविधियों में संलिप्त रह कर उन्हें संश्रय, सहयोग एवं समर्थन देने के तथ्य प्रकट होते हैं।

112. जहां तक अभियुक्तगण के परस्पर एक–दूसरे से कोई जान–पहचान नहीं होने तथा एक–दूसरे को नहीं जानने संबंधी तर्क का प्रश्न है, ऊपर विवेचना में यह पाया जा चुका है कि आर्टिकल ए–8 से ए–10 का पत्र अभियुक्त नारायण सान्याल व्दारा केन्द्रीय जेल रायपुर में लिखा गया, जिसे जेल में मुलाकात के दरम्यान अभियुक्त नारायण सान्याल व्दारा अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन को प्रदान किये गये तथा उक्त पत्रों को विभिन्न नक्सली संगठनों/संगमों इत्यादि में कोड वर्ड्स के नाम से भेजने हेतु अभियुक्त पियूष गूहा को प्रदान किया गया।

जिससे अभियुक्तगण की मस्तिष्क की एकता (Unity of Mind) एवं राजद्रोह करने का आपराधिक षड़यंत्र किये जाने के तथ्य प्रमाणित होतें हैं। इसके अलावा घटना के पूर्व अभियुक्त नारायण सान्याल ने अभियुक्त विनायक सेन को पोस्ट कार्ड भेजा था तथा अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन, अभियुक्त नारायण सान्याल से कई बार उसका रिश्तेदार बताकर जेल में मुलाकात किया है, जिससे भी अभियुक्तगण का घटना के पूर्व से ही एक–दूसरे से जान–पहचान एवं संबंध होना व आपराधिक षड़यंत्र करना तथा उक्तानुसार आपराधिक षड़यंत्र के अनुसरण में कार्य करना प्रमाणित होता है। अतः उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

113. अतः अभियोजन व्दारा प्रस्तुत उपरोक्तानुसार साक्ष्यों, दस्तावेजों/आर्टिकलों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि " अभियुक्त नारायण सान्याल सरकार व्दारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन "कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्सिस्ट–लेलिनिस्ट) जिसका परिवर्तित अग्रणी रूप वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (माओवादी) की उच्चतम संस्था 'पोलित ब्यूरो' का सदस्य है।

114. विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–45 में उपबंधित अनुसार :–

"अपराध का संज्ञान – (1) न्यायालय किसी संज्ञान का अपराध –
(1) अध्याय 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार व्दारा अधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना,
(2) अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार या, यथास्थिति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकति के बिना, और जहां ऐसा अपराध विदेशी सरकार के विरूध्द कारित होता है, वहां केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, नहीं लेगा।"

इस प्रकरण में छ0ग0शासन के अभियोजन स्वीकृति आदेश दिनांक 24 जुलाई 2007 प्रदर्श पी0151 व आदेश दिनांक 31 जुलाई 2007 प्रदर्श पी0152 प्रस्तुत है, जिसके अनुसार छ0ग0शासन व्दारा अभियुक्तगण के विरूध्द विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम,

1967 के अंतर्गत अपराधों तथा धारा – 121ए, 124ए भा0दं0वि0 के संज्ञान हेतु अभियोजन की अनुमति दी गयी है। अतः विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अध्याय –4 एवं 6 के अधीन उपबंधित धाराओं का संज्ञान इस न्यायालय व्दारा लिया जा सकता है तथा परन्तु प्रकरण में केन्द्रीय सरकार व्दारा अभियुक्तगण के विरूध्द विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत अपराधों के संज्ञान हेतु अभियोजन की अनुमति बाबत् कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अध्याय–3 विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 अर्थात् उक्त अधिनियम की धारा–10 से लेकर 14 तक के अपराधों का अर्थात आरोपित अपराध धारा–10(ए) विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

115. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त नारायण सान्याल तथा अभियुक्त पिजूष गूहा एवं डॉ0 विनायक सेन के व्दारा 06.05.2007 अथवा इसके पूर्व रेल्वे स्टेशन रोड, रायपुर(छ0ग0), केन्द्रीय जेल रायपुर (छ0ग0), केन्द्रीय जेल बिलासपुर (छ0ग0), कटोरा तालाब रायपुर(छ0ग0), होटल महेन्द्र, होटल गीतांजलि, रायपुर (छत्तीसगढ़) में आंतकी एवं नक्सली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले एवं नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य एवं पत्रिकाएं, यथा– प्रभात पत्रिका, पीपुल्स मार्च, अंग्रेजी पत्र, वाईस आफ इंडियन रेंग्युलेशन, ह्युमन राईट्स एंड नक्सलाईट ग्रुप्स, सलवा जुडुम, कांतिकारी जनवादी मोर्चा (आरडीएफ), वैश्वीकरण एवं भारतीय सेवा क्षेत्र की चकाचौंध आदि, चिट्ठियां, समाचार पत्र, सी0डी0 कैसेट, कम्प्यूटर सीपीयू इत्यादि लेखी एवं दृष्यरूपण सामग्रियों के माध्यम से भारत में विधि व्दारा स्थापित सरकार के विरूध्द घृणा, अवमान एवं अप्रीति प्रदीप्त कर तथा उसका प्रयत्न कर राजद्रोह करने का आपराधिक षड़यंत्रकारित करने, अभियुक्तगण के विधि–विरूध्द संगठन कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (माओवादी), नक्सली संगठनों के

सम्मेलनों एवं कियाकलापों में भाग लेने, विधि–विरूध्द संगठन के सदस्य न रहते हुये भी नक्सली संगठनों के सम्मेलनों एवं कियाकलापों में भाग लेने व उक्त संगठन के सदस्यों को संश्रय प्रदान करने, विधि–विरूध्द संगठन का प्रबंधन करने, प्रबंधन में सहयोग करने, उक्त संगठन के किसी बैठक या सदस्यों को बढ़ावा देने, सहयोग करने, उनके विधि–विरूध्द गतिविधियों में भाग लेने तथा अन्य माध्यमों या उपकरणों के भागीदार रहने, विधि–विरूध्द कार्यकलाप घटित करने, दुष्प्रेरण करने, घटित करने का प्रयास करने, घटित करने की योजना बनाने, अभियुक्त नारायण सान्याल के आतंकवादी कार्य में संलग्न आंतकवादी संगठन के सदस्य रहने तथा अभियुक्तगण व्दारा आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने के तथ्य स्थापित होते हैं।

116. अतः अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूध्द भारतीय दण्ड विधान की धारा–124(क) सहपठित धारा 120बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(1), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(2), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(3), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(5), विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–39(2) तथा अभियुक्त नारायण सान्याल के विरूध्द विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–20 का अपराध उनके संपूर्ण घटकों सहित प्रमाणित करने में सफल रहा है।

117. अतः अभियुक्तगण पिजूष गुहा, नारायण सान्याल तथा डॉ0 विनायक सेन धारा–124(क) सहपठित धारा– 120बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(1), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(2), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(3),

छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(5), विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–39(2) का तथा अभियुक्त नारायण सान्याल को विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–20 के अपराध के लिये दोषसिध्द ठहराया जाता है। अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन का मुचलका निरस्त किया जाता है।

118. परन्तु अभियुक्तगण के भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरूध्द युध्द करने, युध्द करने का प्रयत्न करने या युध्द करने का दुष्प्रेरण करने, विधि–विरूध्द संगम का सदस्य बने रहने, उसकी बैठकों में भाग लेने, अभिदाय करने या उसके प्रयोजनों के लिये अभिदाय प्राप्त करने या याचना करने या ऐसे संगम की कियाकलापों में किसी प्रकार से सहायता करने ऐसी संपत्ति धारण करने, जो आतंकवाद करने से उत्पन्न हुई या अभिप्राप्त की गयी या आंतकवादी कोष के माध्यम से अर्जित की गयी, के तथ्य स्थापित नहीं होते हैं। इसी प्रकार अभियुक्तगण पियूष गूहा तथा डॉ0 विनायक सेन के आतंकवादी कार्य में संलग्न आंतकवादी गिरोह अथवा आतंकवादी संगठन के सदस्य रहने, आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध करने के तथ्य भी स्थापित नहीं होते हैं।

119. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण पियूष गूहा, नारायण सान्याल एवं डॉ0 विनायक सेन के विरूध्द अभियुक्तगण के विरूध्द भारतीय दण्ड विधान की धारा 121(क), विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–10(ए) अथवा विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–10(ए) सहपठित धारा–120बी भा0दं0वि0, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–21, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–39(2) का आरोप तथा अभियुक्त पियूष गूहा एवं डॉ0 विनायक सेन के विधि–विरूध्द

कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–20 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है।

120. अतः अभियुक्तगण पिजूष गूहा, नारायण सान्याल तथा डॉ0 विनायक सेन को भारतीय दण्ड विधान की धारा 121(क), विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–10(ए) अथवा विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–10(ए) सहपठित धारा–120बी भा0दं0वि0, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–21, विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–38(2) के अपराध से तथा अभियुक्त पिजूष गूहा एवं डॉ0 विनायक सेन को विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–20 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

121. अतएव् अभियुक्तगण पिजूष गूहा, नारायण सान्याल तथा डॉ0 विनायक सेन धारा–124(क) सहपठित धारा– 120बी भा0दं0वि0, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(1), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(2), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(3), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा–8(5), विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–39(2) तथा अभियुक्त नारायण सान्याल को विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–20 के अपराध के सम्बन्ध में दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु निर्णय अस्थायी तौर पर थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाता है।

(बी0पी0वर्मा)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

122. "<u>अभियुक्तगण पिजूष गूहा, डॉ0 विनायक सेन तथा नारायण सान्याल को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।</u>" अभियुक्त नारायण सान्याल के विव्दान अधिवक्ता व्दारा दण्ड के प्रश्न पर कुछ नहीं कहना व्यक्त किया गया। अभियुक्त पिजूष गूहा एवं डॉ0 विनायक सेन के विव्दान अधिवक्तागण की ओर से तर्क किया गया कि अभियुक्त पिजूष गूहा युवा है और अभियुक्त विनायक सेन अधिक उम्र का वृध्द व्यक्ति है, अतः इन्हें केवल न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे। विशेष लोक अभियोजक ने तर्क किया कि अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जावे।

123. उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। अभियुक्तगण के व्दारा भारत में विधि व्दारा स्थापित सरकार के विरूध्द राजद्रोह करने का आपराधिक षड़यंत्र कारित करने जैसा गंभीर अपराध किया गया है तथा अभियुक्त नारायण सान्याल आंतकवादी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माओवादी) का सकिय सदस्य है। इसके अलावा अभियुक्तगण व्दारा आतंकवादी संगठनों को सहयोग प्रदान किया गया है। अभियुक्तगण व्दारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में आतंकवादी तथा नक्सली संगठनों व्दारा जिस तरह से केन्द्रीय सुरक्षा बलों, पुलिस अधिकारियों/पुलिस कर्मियों, भोले-भाले आदिवासियों तथा निर्दोष लोगों की बर्बरता/निर्ममतापूर्वक नृशंस हत्याएं की जा रही हैं, उससे समूचे देश, राज्य तथा समाज में भय, आतंक और अशांति व्याप्त है, जिसे देखते हुये यह न्यायालय अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना अथवा उनके प्रति उदारता बरतते हुये उन्हें न्यूनतम दण्ड से दण्डादिष्ट किया जाना उचित नहीं पाती है।

124. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को उपरोक्तानुसार दोषसिध्द ठहराये गये अपराधों के अंतर्गत निम्नवत् सारिणी में दर्शित अनुसार दण्ड से दण्डादिष्ट किया जाता है:-

क्र0	दण्डादिष्ट धाराएं	अभियुक्त पिजूष गुहा	अभियुक्त नारायण सान्याल	अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन
01.	02.	03.	04.	05.
01.	धारा 124(क) सहपठित 120 बी भा0दं0वि0	आजीवन कारावास (Imprisonment for life)" एवं 5000/- (परंच हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिकम पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास।	आजीवन कारावास (Imprisonment for life)" एवं 5000/- (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिकम पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास।	आजीवन कारावास (Imprisonment for life)" एवं 5000/- (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिकम पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास।
02.	धारा 8(1) छ0ग0 विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2005	2 वर्ष(दो वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिकम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।	2 वर्ष(दो वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिकम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।	2 वर्ष(दो वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिकम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
03.	धारा 8(2) छ0ग0 विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2005	1 वर्ष(एक वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिकम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।	1 वर्ष(एक वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिकम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।	1 वर्ष(एक वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिकम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
04.	धारा 8(3) छ0ग0 विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2005	3 वर्ष(तीन वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिकम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम	3 वर्ष(तीन वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिकम पर तीन	3 वर्ष(तीन वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के

		कारावास।	माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।	व्यतिक्रम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
05.	धारा 8(6) छ0ग0 विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2005	5 वर्ष(पांच वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/– (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिक्रम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।	5वर्ष(पांच वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/– (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिक्रम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।	5 वर्ष(पांच वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/– (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिक्रम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
06.	धारा 39(2) विधि–वि रूध्द कियाकला प (निवारण) अधिनियम 1967	5 वर्ष(पांच वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/– (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिक्रम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।	5 वर्ष(पांच वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/– (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिक्रम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।	5 वर्ष(पांच वर्ष) सश्रम कारावास एवं 1000/– (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिक्रम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
07.	धारा 20 विधि–वि रूध्द कियाकला प (निवारण) अधिनियम 1967	निरंक (नोट– अभियुक्त पिजूष गूहा को धारा 20 विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अपराध के लिये दोषसिध्द नहीं ठहराया गया है।)	10 वर्ष(दस वर्ष) सश्रम कारावास एवं 2000/– (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड के अदायगी के व्यतिक्रम पर छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।	निरंक (नोट– अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन को धारा 20 विधि–विरूध्द कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अपराध के लिये दोषसिध्द नहीं ठहराया गया है।)

अभियुक्तगण पिजूष गूहा, नारायण सान्याल एवं डॉ0 विनायक सेन को उपरोक्तानुसार दी गयी कारावास की मूल सजाएं साथ–साथ भुगतायी जायेगीं।

125. अभियुक्त पिजूष गूहा इस प्रकरण में दिनांक 06.05.2007 से लेकर आज दिनांक 24.12.2010 तक, अभियुक्त डॉ0 विनायक सेन दिनांक 14.05.2007 से लेकर दिनांक 26.05.2009 तक तथा अभियुक्त नारायण सान्याल दिनांक 25.06.2007 से आज दिनांक 24.12.2010 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। अतः उक्त न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को अभियुक्तगण पिजूष गूहा, डॉ0 विनायक सेन तथा नारायण सान्याल के उपरोक्तानुसार मूल कारावास की सजा में धारा-428 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत मूजरा (समायोजित) किया जावे तथा तत्संबंध में धारा-428 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर संलग्न किया जावे।

126. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पत्र-पत्रिकाएं, चिट्ठियां, समाचार पत्र प्रकरण में संलग्न कर रखा जावे तथा जप्तशुदा सीडी कैसेट्स, कम्प्यूटर सीपीयू, मोबाईल को अपील अवधि उपरांत नष्ट किया जावे। जप्तशुदा राशि पचास हजार रूपये को राज्य शासन के पक्ष में राजसात किया जाता है। अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्तियों का निर्वर्तन माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावे।

रायपुर,
दिनांक : 24/12/2010

S/-
(बी0पी0वर्मा)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर(छ0ग0)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

TRUE COPY
24/12/10
बी. पी. वर्मा
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)